A

IN THE COURT OF Munesh Chand Yadav
Present Addl Distt. & Sessions Judge No.1, Rajgarh (Churu)
[Date of the Judgment- 30.06.2026]
[Case No- 07/2021]
CNR- RJCH060000102021
(FIR No. 111/2020 PS Sidhmukh Dist. Churu)

Complainant	राजस्थान राज्य
PRESENTED BY	श्री सुनील जांगिड, अपर लोक अभियोजक
ACCUSED	1. **मोहित उर्फ डागा** पुत्र नरेश उम्र 21 साल निवासी वार्ड नं0 11 जुलाना पीएस जुलाना जिला जिंद हरियाणा 2. **सुधीर** पुत्र राजवीर उम्र 21 साल निवासी सादीपुर पीएस जुलाना जिला जिंद हरियाणा **(मफरूर)** 3. **छोटे उर्फ नवदीप** पुत्र पवन उर्फ फंडी उम्र 25 साल निवासी जैजवंती पीएस जुलाना जिला जिंद हरियाणा **(मफरूर)** 4. **शेखर उर्फ हैप्पी** पुत्र मुकेश उम्र 21 साल निवासी घुमनहेडा पीएस छावला जिला छावला दिल्ली **(मफरूर)** 5. **हरेंद्र उर्फ हर्ष उर्फ मोटा** पुत्र मुकेश उम्र 19 साल निवासी बादली पीएस बादली जिला झझर हरियाणा **(मफरूर)** 6. **अंकित उर्फ हाउ** पुत्र ओमप्रकाश उम्र 24 साल निवासी बिगोवा पीएस सदर दादरी जिला चरखी दादरी, हरियाणा **(मफरूर)** 7. **विकास उर्फ काशी** पुत्र नरसिंह उम्र 26 साल निवासी पिंजोखरा पीएस तोषाम जिला भिवानी हरियाणा 8. **साहिल उर्फ डॉक्टर** पुत्र कर्मवीर निवासी निंदाना पीएस महस जिला रोहतक, हरियाणा 9. **राजेश** पुत्र रतनलाल उम्र 20 साल निवासी भगेला पीएस सिद्धमुख जिला चूरू

	10. **परविन्द्र उर्फ धोलिया** पुत्र नत्थूराम उम्र 20 साल निवासी भगेला पीएस सिद्धमुख जिला चूरू **(मफरूर)** 11. **जगमोहन** पुत्र ओमप्रकाश उम्र 38 साल निवासी चूली बागडिया पीएस मण्डी आदमपुर जिला हिसार हरियाणा
REPRESENTED BY	श्री चरण सिंह पूनियां, अधिवक्ता श्री जितेंद्र कुमार, अधिवक्ता

B

Date of Offence	08-08-2020
Date of FIR	08-08-2020
Date of Chargesheet	11-12-2020
Date of Framing of Charges	03-02-2021 20-12-2021 29-07-2022 03-09-2022
Date of commencement of evidence	03-05-2023
Date on which judgment is reserved	29-06-2026
Date of the Judgement	30-06-2026
Date of the Sentencing Order, if any	Yes,(30-06-2026)

C: ACCUSED DETAILS

Rank of the Accused	Name of Accused	Date of Arrest	Date of release on bail	Offences charged with	Whether acquitted or convicted	Sentence imposed	Period of detention undergone during trial for purpose of Section 428 Cr. PC
1	मोहित उर्फ डागा	06.11.20	19-11-24	397, 482/120B IPC	**Convicted**	Seven & One Year imprisonment with fine	**पीसी** दिनांक 06.11.20 से 07.11.20 **जेसी** दिनांक 07.11.20 से 19.11.24 तथा दिनांक 15.05.26 से लगातार
2	विकास उर्फ काशी	31.10.20	11-05-23	397, 482/120B IPC	**Convicted**	Seven & One Year imprisonment with fine	**पीसी** दिनांक 31.10.20 से 01.11.20 व 11.11.20 से 12.11.20 तक

							जेसी दिनांक 01.11.20 से 11.11.20 व 12.11.20 से 11.05.23 तक तथा दिनांक 15.05.26 से लगातार
3	साहिल उर्फ डॉक्टर	15.09.20	20-04-21	397, 482/120B IPC	**Convicted**	Seven & One Year imprisonment with fine	**पीसी** दिनांक 15.09.20 से 16.09.20 **जेसी** दिनांक 16.09.20 से 20.04.21 तक
4	राजेश उर्फ धोलिया	15.09.20	15-01-21	397, 482/120B IPC	**Convicted**	Seven & One Year imprisonment with fine	**पीसी** दिनांक 15.09.20 से 16.09.20 **जेसी** दिनांक 16.09.20 से 15.01.21 तक
5	जगमोहन	Bail by Police	Bail by Police	212 IPC	**Convicted**	Three Years imprisonment with fine	— —

PART-II
LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURT WITNESSES

A. Prosecution

Rank	Name	Nature of Evidence (Eye Witness, Police Witness, Expert Witness, Medical Witness, Panch Witness, Other Witness)
PW. 1	महेन्द्र सिंह	स्वतंत्र गवाह
PW. 2	अमरचंद	स्वतंत्र गवाह
PW. 3	सोमवीर	स्वतंत्र गवाह
PW. 4	शंकरलाल	मालखाना इंचार्ज
PW. 5	भरत सिंह	पुलिस गवाह
PW. 6	बलवान	पुलिस गवाह
PW. 7	कृष्ण कुमार	थानाधिकारी
PW. 8	ओमप्रकाश	पुलिस गवाह
PW. 9	कृष्ण कुमार गूगड	मोबाइल फोरेसिंक यूनिट चूरू
PW. 10	अशोक कुमार	पुलिस गवाह

B. Defence Witnesses, If any:

Rank	Name	Nature of Evidence (Eye Witness, Police Witness, Expert Witness, Medical Witness, Panch Witness, Other Witness)
---	Nil	---

C. Court Witnesses, If any:

Rank	Name	Nature of Evidence (Eye Witness, Police Witness, Expert Witness, Medical Witness, Panch Witness, Other Witness)
---	Nil	---

LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURT EXHIBITS

A. Prosecution:

Sr. No.	Exhibit Number	Description
1	Exhibit P-1	लिखित रिपोर्ट
2	Exhibit P-2	चाक एफआईआर
3	Exhibit P-3, 3A	नक्शा मौका व हालात मौका
4	Exhibit P-4	पहचान प्रारूप मोहित उर्फ डागा
5	Exhibit P-5	पहचान प्रारूप सुधीर
6	Exhibit P-6	पहचान प्रारूप छोटे उर्फ नवदीप
7	Exhibit P-7	पहचान प्रारूप शेखर उर्फ हैप्पी
8	Exhibit P-8	पहचान प्रारूप हरेन्द्र उर्फ हर्ष
9	Exhibit P- 9	पहचान प्रारूप अंकित उर्फ हाउ
10	Exhibit P-10	पहचान प्रारूप साहिल उर्फ डॉक्टर
11	Exhibit P-11	पहचान प्रारूप विकास उर्फ काशी
12	Exhibit P-12	बयान अंतर्गत धारा 161 सीआरपीसी अमरचंद
13	Exhibit P-13	बयान अंतर्गत धारा 161 सीआरपीसी सोमवीर
14	Exhibit P-14	मूल मालखाना रजिस्टर
15	Exhibit P-15	बापर्दा गिरफतारी एवं जामा तलाशी मुलजिम अंकित उर्फ हाउ
16	Exhibit P-16	बापर्दा गिरफतारी एवं जामा तलाशी मुलजिम साहिल उर्फ डॉक्टर
17	Exhibit P-17	बापर्दा गिरफतारी एवं जामा तलाशी मुलजिम राजेश
18	Exhibit P-18	फर्द तस्दीक घटनास्थल मुलजिम अंकित उर्फ हाउ
19	Exhibit P-19	फर्द तस्दीक घटनास्थल मुलजिम साहिल

		उर्फ डॉक्टर
20	Exhibit P-20	फर्द तस्दीक नक्शा मौका घटनास्थल
21	Exhibit P-21	फर्द तस्दीक योजनास्थल मुलजिम राजेश
22	Exhibit P-22	फर्द तस्दीक नक्शा मौका योजनास्थल मुलजिम राजेश
23	Exhibit P-23	फर्द बापर्दा गिरफतारी एवं जामा तलाशी अजाने मुलजिम विकास उर्फ काशी
24	Exhibit P-24	फर्द तस्दीक घटनास्थल अजाने मुलजिम विकास उर्फ काशी
25	Exhibit P-25	फर्द तस्दीक नक्शा मौका व हालात मौका घटनास्थल
26	Exhibit P-26	फर्द जप्ती स्पीकर गाडी अजाने मुलजिम विकास उर्फ काशी
27	Exhibit P-27	फर्द जप्ती एक खाली खोखा अजाने मुलजिम विकास उर्फ काशी
28	Exhibit P-28, 28A	नक्शा मौका व हालात मौका बरामदगीस्थल
29	Exhibit P-29	फर्द जप्ती स्पीकर गाडी के फर्श का लोहे का चोकोर टुकडा
30	Exhibit P-30	फर्द जप्ती चला हुआ बुलेट
31	Exhibit P-31	फर्द जप्ती एक सीट कवर
32	Exhibit P-32	प्रोडक्शन वारंट बाबत तहरीर
33	Exhibit P-33	प्राडक्शन वारंट
34	Exhibit P-34	फर्द इतला 27 साक्ष्य अधिनियम मुलजिम अंकित उर्फ हाउ
35	Exhibit P-35	फर्द इतला 27 साक्ष्य अधिनियम मुलजिम साहिल उर्फ डॉक्टर
36	Exhibit P-36	फर्द इतला 27 साक्ष्य अधिनियम मुलजिम राजेश
37	Exhibit P-37	प्रोडक्शन वारंट
38	Exhibit P-38	फर्द इतला 27 साक्ष्य अधिनियम मुलजिम विकास उर्फ काशी
39	Exhibit P-39	फर्द इतला 27 साक्ष्य अधिनियम बापर्दा मुलजिम विकास उर्फ काशी
40	Exhibit P-40	फर्द इतला 27 साक्ष्य अधिनियम बापर्दा मुलजिम विकास उर्फ काशी
41	Exhibit P-41	प्रोडक्शन वारंट जारी करवाने बाबत तहरीर
42	Exhibit P-42	प्रोडक्शन वारंट पर सुपुर्द करने बाबत
43	Exhibit P-43	प्रोडक्शन वारंट पर सुपुर्द करने बाबत
44	Exhibit P-44	प्रोडक्शन वारंट पर सुपुर्द करने बाबत
45	Exhibit P-45	फर्द बापर्दा गिरफतारी एवं जामा तलाशी मुलजिम छोटे उर्फ नवदीप
46	Exhibit P-46	फर्द बापर्दा गिरफतारी एवं जामा तलाशी

		मुलजिम शेखर उर्फ हैप्पी
47	Exhibit P-47	फर्द बापर्दा गिरफतारी एवं जामा तलाशी मुलजिम हरेन्द्र उर्फ हर्ष उर्फ मोटा
48	Exhibit P-48	फर्द बापर्दा गिरफतारी एवं जामा तलाशी मुलजिम सुधीर
49	Exhibit P-49	फर्द बापर्दा गिरफतारी एवं जामा तलाशी मुलजिम मोहित उर्फ डागा
50	Exhibit P-50	फर्द इतला 27 साक्ष्य अधिनियम बापर्दा मुलजिम मोहित उर्फ डागा
51	Exhibit P-51	फर्द इतला 27 साक्ष्य अधिनियम बापर्दा मुलजिम सुधीर
52	Exhibit P-52	फर्द इतला 27 साक्ष्य अधिनियम बापर्दा मुलजिम छोटे उर्फ नवदीप
53	Exhibit P-53	फर्द इतला 27 साक्ष्य अधिनियम बापर्दा मुलजिम शेखर उर्फ हैप्पी
54	Exhibit P-54	फर्द इतला 27 साक्ष्य अधिनियम बापर्दा मुलजिम हरेन्द्र उर्फ हर्ष उर्फ मोटा
55	Exhibit P-55	फर्द तस्दीक घटनास्थल बापर्दा मुलजिम हरेन्द्र उर्फ हर्ष उर्फ मोटा
56	Exhibit P-56	फर्द तस्दीक घटनास्थल बापर्दा मुलजिम शेखर उर्फ हैप्पी
57	Exhibit P-57	फर्द तस्दीक घटनास्थल बापर्दा मुलजिम सुधीर
58	Exhibit P-58	फर्द तस्दीक घटनास्थल बापर्दा मुलजिम मोहित उर्फ डागा
59	Exhibit P-59	फर्द तस्दीक घटनास्थल बापर्दा मुलजिम छोटे उर्फ नवदीप
60	Exhibit P-60	नक्शा मौका व हालात मौका फर्द तस्दीक घटनास्थल
61	Exhibit P-61	शिनाख्तगी कार्यवाही बाबत तहरीर
62	Exhibit P-62	फर्द इतला अतर्गत धारा 27 साक्ष्य अधिनियम मुलजिम विकास उर्फ काशी
63	Exhibit P-63	फर्द इतला अतर्गत धारा 27 साक्ष्य अधिनियम मुलजिम विकास उर्फ काशी
64	Exhibit P-64	एक आधार कार्ड मुलजिम विकास उर्फ काशी
65	Exhibit P-65	फर्द बरामदगी नक्शा मौका व हालात मौका घटनास्थल
66	Exhibit P-66	
67	Exhibit P-67	फर्द गिरफतारी एवं जामा तलाशी अजाने मुलजिम प्रविन्द्र उर्फ धोलिया
68	Exhibit P-68	फर्द इतला अतर्गत धारा 27 साक्ष्य अधिनियम मुलजिम प्रविन्द्र उर्फ धोलिया
69	Exhibit P-69	फर्द तस्दीक घटनास्थल रेकी स्थल अजाने मुलजिम प्रविन्द्र उर्फ धोलिया
70	Exhibit P-70	नक्शा मौका व हालात मौका रेकी स्थल

71	Exhibit P-71	आधार कार्ड महेन्द्र सिंह
72	Exhibit P-72	बंध पत्र व जमानत पत्र
73	Exhibit P-73	आधार कार्ड प्रति जगमोहन
74	Exhibit P-74	आपराधिक रिकार्ड मुलजिम मोहित, नवदीप, सुधीर
75	Exhibit P-75	आपराधिक रिकार्ड मुलजिम जगमोहन
76	Exhibit P-76	पीएस जिंद सदर की एफआईआर
77	Exhibit P-77	फर्द इंकसाफ आरोपी मोहित उर्फ डागा
78	Exhibit P-78	फर्द इंकसाफ आरोपी सुधीर
79	Exhibit P-79	महेन्द्र की आउटिंग की प्रति
80	Exhibit P-80	अग्रेषण पत्र
81	Exhibit P-81	एफएसएल प्राप्ति रसीद
82	Exhibit P-82	अशोक कानि की रवानगी
83	Exhibit P-83	जिंद थाना की आमद रवानगी
84	Exhibit P-84, 85, 86	रोजनामचा
85	Exhibit P-87	धारा 65बी का प्रमाण पत्र
86	Exhibit P-88	मोबाइल फोरेंसिक यूनिट तहरीर
87	Exhibit P-89	शिनाख्तगी की कार्यवाही बाबत सम्मन
88	Exhibit P-90 to 96	सीसीटीवी की फुटेज
89	Exhibit P-97 to 100	मूल चिट दस्तख्ती व कार्बन प्रति
90	Exhibit P-101	चार्जशीट
91	Exhibit P-102	वाहन निरीक्षण रिपोर्ट
92	Exhibit P-103	एफएसएल रिपोर्ट
93	Exhibit P-104	एफएसएल रिपोर्ट प्रार्थना पत्र

B. Defence:

Sr. No.	Exhibit Number	Description
----	Nil	---

C. Court Exhibits:

Sr. No.	Exhibit Number	Description
----	Nil	---

D. Material Objects:

Sr. No.	Material Object Number	Description
1	MO 1	सीडी
2	MO 2	खाली खोखा
3	MO 3	गाडी के फर्श का चौकोर टुकडा
4	MO 4	एक चला हुआ बुलेट

— निर्णय — दिनांक— **30.06.2026**

1— संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 08.08.2020 को परिवादी महेंद्र सिंह पुत्र लिछमण राम निवासी भाडग तहसील तारानगर जिला चूरू ने पुलिस थाना सिद्धमुख में एक लिखित रिपोर्ट प्रदर्शपी—1 इस आशय की पेश की कि वह दिनांक 08.08.20 को सुबह 6 बजे सिद्धमुख से भाडग उसके गांव जा रहा था, तब रास्ते में दयावठ से आगे और ईंट भटटों से पहले उसके सामने एक स्कोर्पियो गाडी आ रही थी और तुरंत उसकी गाडी के आगे उन्होंने गाडी लगा दी तथा पांच हथियार बंद लोग नीचे व एक चालक गाडी के अंदर बैठा था। जो लोग नीचे उतरे और उन्होंने उस पर पिस्तोल तान दी और उसे डराकर गाडी से नीचे उतारा एवं उसकी गाडी सं. आरजे 49 सीए 2591 तथा गाडी के अंदर उसकी सीआरपीएफ आई.डी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, मोबाइल, पर्श व दस हजार रूपये और गाडी के समस्त कागजात मय बीमा के कागजात व गाडी की स्टेपनी सहित सुबह करीब 06.20 एएम पर उससे जबरदस्ती ले गये....आदि।

2— उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना सिद्धमुख में प्राथमिकी संख्या 111/2010 दर्ज की गई और आवश्यक अनुसंधान के बाद अभियुक्तगण मोहित उर्फ डागा, सुधीर, छोटे उर्फ नवदीप, शेखर उर्फ हैप्पी, हरेंद्र उर्फ हर्ष उर्फ मोटा, अंकित उर्फ हाउ, विकास, साहिल उर्फ डॉक्टर, राजेश, प्रविंद्र उर्फ धोलिया के विरूद्ध धारा 395, 397, 482, 120बी भा0दं0सं0 तथा अभियुक्त जगमोहन के विरूद्ध धारा 212 भा0दं0सं0 में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। बाद प्रसंज्ञान प्रकरण कमिट होकर इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

3— दौराने विचारण अभियुक्तगण शेखर उर्फ हैप्पी, हरेंद्र उर्फ हर्ष उर्फ मोटा, छोटे उर्फ नवदीप, विकास उर्फ काशी को धारा 395 विकल्प में 395 सपठित 120बी, 397 विकल्प में 397 सपठित 120बी, 482 विकल्प में 482 सपठित 120बी भा0दं0सं0 तथा अभियुक्तगण साहिल उर्फ डॉक्टर, राजेश, प्रविंद्र उर्फ धोलिया, सुधीर, मोहित उर्फ डागा को धारा 395 विकल्प में 395 सपठित 120बी, 397 विकल्प में 397 सपठित 120बी, 482 विकल्प में 482 सपठित 120बी, 120बी भा0दं0सं0 एवं अभियुक्त जगमोहन को धारा 212 भा0दं0सं0 का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो उन्होंने आरोपों को अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही। **वहीं अभियुक्त अंकित उर्फ हाउ के मफरूर होने से उसके विरूद्ध आरोप विरचित नहीं किया जा सका।** साक्ष्य अभियोजन में उपरोक्त प्रफोर्मा में वर्णित गवाहान पीडब्लू 1 लगायत 10 के बयान करवाये।

4— अभियुक्तगण की परीक्षा धारा 313 दं0प्र0सं0 के तहत की गई, जिसमें उसने अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य को गलत बताकर स्वंय को निर्दोष बताकर झूठा फंसाना बताया तथा बचाव साक्ष्य पेश करना चाहा, जो पेश नहीं किये जाने पर साक्ष्य सफाई का अवसर बंद

किया गया।

5— बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस में विद्वान अपर लोक अभियोजक का तर्क है कि उनकी ओर से प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्तगण दोषी साबित हो रहे हैं। प्रकरण के परिवादी द्वारा अभियुक्तगण की शिनाख्तगी परेड करवा कर उनकी पहचान की गयी है एवं पुलिस द्वारा लूट की गयी गाडी को जब्त किया गया है। गवाहान के कथनों में किसी भी प्रकार का कोई तात्विक विरोधाभास नहीं है तथा जो विरोधाभास है, वह समय के साथ आना स्वाभाविक है। उनकी साक्ष्य से अभियुक्तगण दोषी साबित हो रहा है, अतः उन्हें दोषसिद्ध किया जाकर कारावास से दण्डित करने का निवेदन किया।

6— जिसका विरोध करते हुए अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में अभियुक्तगण की कोई शिनाख्तगी परेड नहीं करवायी गयी है और ना ही अभियुक्तगण से फर्द तस्दीक घटनास्थल में कार के नंबर का कोई अंकन है। मौके का तस्दीक घटनास्थल अभियुक्तगण से पहले करवाया गया है और अभिरक्षा में उन्हें बाद में प्रेषित किया गया है, इसलिए तस्दीक घटनास्थल का कोई महत्व नहीं रह जाता है। गाडी चोरी के संबंध में पत्रावली पर कोई साक्ष्य नहीं है और ना ही गाडी के मूल मालिक को परीक्षित करवाया गया है। राजेश व साहिल से जिस व्यक्ति ने हथियार जब्त किये हैं, उसी व्यक्ति के द्वारा गिरफतारी की गयी है और गिरफतारी के संबंध में कोई नोटिस आदि नहीं दिया गया है। कार लूट के संबंध में किसी भी साक्षी को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं करवाया गया है। पहचान परेड में आठ में से पांच व्यक्तियों द्वारा ही अभियुक्तगण को पहचाना गया है। अभियुक्तगण को पहचान परेड से पूर्व ही परिवादी को दिखा दिया गया था। लूट की घटना सडक आम पर की गयी है परंतु वहां आस—पास के किसी व्यक्ति या खेत पडौसियों को साक्ष्य सूची में रखकर न्यायालय में परीक्षित नहीं करवाया गया है। अभियुक्तगण का उक्त प्रकरण से कोई लेना—देना नहीं है और ना ही उनकी अपराध में कोई संलिप्तता है। पुलिस द्वारा अन्य प्रकरण में गिरफतारशुदा अभियुक्तगण को इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। ऐसे में अभियोजन की साक्ष्य से मुलजिमान द्वारा प्रकरण वर्णित अपराध करना साबित नहीं हो रहा है और ना ही इस संबंध में कोई स्पष्ट साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया। इस संबंध में उन्होंने निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये—

1. 2016(3) सीजे(क्रिमी.) (राज.) 1340

   जगफूल उर्फ नन्हे आदि बनाम राजस्थान राज्य

2. क्रिमी अपील नंबर 903/2021 (एस.सी)

   गणेशन बनाम राज्य

7— उभय पक्षकारान द्वारा परस्तुत तथ्यों, तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली व संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिंदू यह है कि—

1. आया अभियुक्तगण ने दिनांक 08.08.2020 को सुबह 6 बजे दयावठ से बिरमी रोड पर ईंट भटटों के पास दीगर मुलजिमान के साथ मिलकर डकैती करने का आपराधिक षडयंत्र रचकर डकैती के लिए बनाये गये अवैध समूह के सामान्य उददेश्य के अग्रसरण में परिवादी महेंद्र सिंह की गाडी रूकवा कर उस पर पिस्तोल तानकर उसकी मृत्यु या उपहति कारित करने का प्रयत्न कर उसकी स्विफट गाडी सं. आरजे 19 सीए 2591, गाडी के कागजात, चालक लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, मोबाइल, एटीएम कार्ड, सीआरपीएफ कार्ड तथा दस हजार रूपये नकद लूटकर डकैती कारित की एवं डकैती करने के पश्चात लूटी गयी स्विफट गाडी स्कोर्पियो पर फर्जी नंबरों की नंबर प्लेट लगाकर उसे मिथ्या संपति चिन्ह के रूप में प्रयोग किया।

2. आया अभियुक्त जगमोहन ने उक्त दिनांक के अपराध की जानकारी होने के बावजूद भी यह जानते हुए कि अभियुक्त विकास उर्फ काशी अपराधी है, को वैध दण्ड से प्रतिछादित करने के आशय से अपने घर में रखकर उसे संश्रय दिया।

3. यदि हां तो अभियुक्तगण किस दंड से दंडनीय है।

8— इस संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल **10 गवाहान** को साक्ष्य में परीक्षित करवाया गया है, जिसमें से साक्षी **पीडब्लू 1 महेन्द्र सिंह** ने कथन किया है कि वह दिनांक 07.08.2020 को उसकी बहन सिलोचना से मिलने सिद्धमुख आया हुआ था तथा वह सिद्धमुख से उसके गांव भाड़ंग के लिए दिनांक 08.08.2020 को सुबह लगभग 6 बजे उसकी स्विफ्ट कार नंबर आरजे 49 सीए 2591 से रवाना हुआ था। वह जब दयावठ से आगे ईंट—भट्ठों से थोड़ा पहले पहुंचा तो सामने से एक स्कॉर्पियो गाड़ी आई और तुरंत उसकी गाड़ी के आगे लगा दी और गाड़ी से 5 हथियारबंद लोग नीचे उतरे और एक स्कॉर्पिया गाड़ी का चालक गाड़ी के अंदर बैठा था। जो लोग नीचे उतरे उन्होंने उसके को तीन ओर से घेर लिया। पिस्टल को लोड कर उसके को डरा—धमकाकर उसे गाड़ी से नीचे उतार लिया व गाड़ी के अंदर रखे सीआरपीएफ आई कार्ड, एटीएम कार्ड, वोटर कार्ड, चालक लाईसेंस, पर्स जिसमें 10 हजार रूपये थे और गाड़ी के सभी दस्तावेज, मोबाईल, स्टेपनी, आधार कार्ड व गाड़ी को मुझसे जबरदस्ती समय करीब 6:20 बजे छीनकर ले गये। उसने घटना के संबंध में पुलिस थाना पहुंचकर थानेदार के समक्ष एक लिखित रिपोर्ट पेश की जो प्रदर्श पी 1 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया जो चाक एफआईआर प्रदर्श पी 2 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घ

ाटनास्थल का नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श पी 3 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके बयान लिये थे। पुलिस ने प्रकरण में गिरफ्तार मुल्जिमों की शिनाख्तगी के लिए जिला कारागृह चूरू में पहचान हेतु दिनांक 10.11.2020 को उपस्थित होकर गिरफ्तार मुल्जिमों की पहचान करने के लिए बुलाया तथा एक मेल सीआरपीएफ 227 बटालियन की मेल आईडी पर दिनांक 10.11.2020 को जिला कारागृह चूरू में उपस्थित होकर पहचान करने के संबंध में भेजा था। वह दिनांक 10.11.2020 को जिला कारागृह चूरू में पहुंचा जहां पर उसने जिला कारागृह में उसके साथ लूट की घटना में जो शामिल थे उनकी पहचान के लिए लगभग 10—10 लड़कों की दो लाईन में खड़ा किया था। 10—10 से कम नहीं थे ज्यादा भी हो सकते हैं उसने गिना नहीं था। पहचान प्रारूप प्रदर्श पी 4 है जिस पर ए से बी स्थानों पर उसके हस्ताक्षर हैं गवाह ने पढ़कर कहा कि यह मोहित उर्फ डागा का है। पहचान प्रारूप सुधीर पुत्र राजवीर प्रदर्श पी 5 है जिस पर ए से बी स्थानों पर उसके हस्ताक्षर हैं, सी से डी स्थान पर अभियुक्त सुधीर की सही पहचान करने का अंकन है। पहचान प्रारूप छोटे उर्फ नवदीप प्रदर्श पी 6 है जिस पर ए से बी स्थानों पर उसके हस्ताक्षर हैं, सी से डी स्थान पर अभियुक्त छोटे उर्फ नवदीप की सही पहचान करने का अंकन है। पहचान प्रारूप शेखर उर्फ हैप्पी प्रदर्श पी 7 है जिस पर ए से बी स्थानों पर उसके हस्ताक्षर हैं, सी से डी स्थान पर अभियुक्त शेखर उर्फ हैप्पी की सही पहचान करने का अंकन है। पहचान प्रारूप हरेंद्र उर्फ हर्ष प्रदर्श पी 8 है जिस पर ए से बी स्थानों पर उसके हस्ताक्षर हैं, सी से डी स्थान पर अभियुक्त हरेंद्र उर्फ हर्ष की सही पहचान करने का अंकन है। पहचान प्रारूप अंकित उर्फ हाउ प्रदर्श पी 9 है जिस पर ए से बी स्थानों पर उसके हस्ताक्षर हैं। पहचान प्रारूप साहिल उर्फ डॉक्टर प्रदर्श पी 10 है जिस पर ए से बी स्थानों पर उसके हस्ताक्षर हैं। पहचान प्रारूप विकास उर्फ काशी प्रदर्श पी 11 है जिस पर ए से बी स्थानों पर उसके हस्ताक्षर हैं, सी से डी स्थान पर अभियुक्त विकास उर्फ काशी की सही पहचान करने का अंकन है। अभियुक्त मोहित व विकास, नवदीप व सुधीर जरिये वॉटसएच कॉल उपस्थित है, जिन्हे देखकर उसने कहा कि वे वही व्यक्ति है जिन्होने उससे गाड़ी छीनी थी। वीसी से उपस्थित मुल्जिम की ओर स्क्रीन पर देखकर कहा कि यह मुल्जिम भी वारदात में शामिल था परंतु नाम उसे नहीं पता। वीसी से उपस्थित मुल्जिम काली टीशर्ट में है, जिसका पूछने पर नाम हरेंद्र बताया। वीसी से उपस्थित मुल्जिम की ओर स्क्रीन पर देखकर कहा कि यह मुल्जिम भी वारदात में शामिल था परंतु नाम उसे नहीं पता। वीसी से उपस्थित मुल्जिम सफेद शर्ट में है, जिसका पूछने पर नाम शेखर बताया।

9— **प्रतिपरीक्षण** में गवाह ने कथन किया कि वह सीआरपीएफ में नौकरी करता है तथा 15 जून 2020 से लेकर 16 अगस्त 2020 तक छुट्टी आया था। सिद्धमुख उसकी बहन विवाहित है। वह अकेला सिद्धमुख 07 अगस्त को शाम 6 बजे आया था, जो स्विफ्ट कार

नंबर आरजे 49 सीए 2591 से आया था। उक्त गाड़ी उसके भाई की पत्नी के नाम रजिस्टर्ड थी। वह वापिस 8 अगस्त 2020 को सुबह 6 बजे रवाना हुआ था। जहां वह उसकी गाड़ी छीनना बता रहा है, उस समय 6:17 एएम पर पहुंचा था और 6:20 एएम पर उससे गाड़ी छीन ली थी। घटनास्थल के पास कोई गांव नहीं था। स्कॉर्पियो गाड़ी आना बता रहा है, वह उसके सामने से आई थी। उक्त गाड़ी के पूरे नंबर ध्यान नहीं है लेकिन एचआर नंबर से शुरूआत थी। स्कॉर्पियो का रंग सफेद था। स्कॉर्पियो से तीन व्यक्ति कंडक्टर दिशा से उतरे थे और दो व्यक्ति चालक साईड से उतरे थे। जो गाड़ी से नीचे उतरे, उन पांचों व्यक्तियों के हाथों में हथियार थे। उनकी शक्ल उसके दिमाग में आज भी याद है। जब वह गाड़ी के अंदर था तो उन लोगों ने फायर नहीं किया बल्कि पिस्टल लोड किया था। उसके सामने तीन लोगों ने पिस्टल में कारतूस डाला था। नीचे उतरने पर उसके साथ कोई मारपीट नहीं की। उक्त लोगों में से उसकी कार की कंडक्टर दिशा में खड़े होने वाले ने जब वह कार से उतर कर भाग रहा था, तब फायर किया था। जब वह भागकर रूका, तब आस—पास वाले किसान उसकी तरफ आ रहे थे। किसानों के पास फोन था। उसी समय राजगढ़ व सिद्धमुख थाने में किसानों ने फोन कर दिया था। मौका पर पुलिस आई थी, जो करीब 7 बजे आई थी। प्रदर्श पी 1 उसकी स्वयं की कलमी है। प्रदर्श पी 1 में उसकी गाड़ी लूटने वाले किसी व्यक्ति के हुलिया, कपड़ों व शारीरिक संरचना व उम्र के बारे में नहीं लिखा था। वह चालक को देख पाया था और उसने चालक की पहचान की थी। प्रदर्श पी 3 बनाया, उस समय जिन्होंने उससे गाड़ी लूटी थी, उनके पदचिह्न थे। जिन्होंने उसकी गाड़ी लूटी, वे वापिस बिरमी की तरफ चले गये थे। उसके पुलिस बयानों में उसने मौके से भागने, एक व्यक्ति द्वारा फायर करने, किसानों द्वारा बात करने, किसानों द्वारा पुलिस को फोन करने, मौके पर पुलिस आने, थाने पर मोटरसाइकिल व पिकअप से जाने वाली बात नहीं लिखवाई थी। उसने पुलिस बयानों में प्रदर्श पी 1 के अलावा एक ही बात लिखवाई थी कि वे लड़के हरियाणा के थे, जो हरियाणवी बोल रहे थे। उसे शिनाख्तगी की कार्यवाही करने हेतु सूचना एसएचओ ने दी थी, जो जरिये फोन और उसके उपरांत बटालियन की मेल आईडी पर सूचना दी थी। वहं दिनांक 10.11.2020 को सुबह 8 बजे पहुंच गया था। जेल के अंदर उसे लगभग 10 बजे इंट्री मिली थी। उसे जेल के अंदर लेकर गये, उनकी संख्या 3—4 थी। उससे लगभग 10 बार शिनाख्तगी परेड करवाई, जो 10 व्यक्तियों की करवाई थी। सबसे पहले उसने किस व्यक्ति की पहचान की, नाम ध्यान नहीं है। उसे किसी कर्मचारी ने शिनाख्त होने वाले किसी व्यक्ति की कोई फोटो नहीं दिखाई। उसने न्यायालय में 6 व्यक्तियों की वॉट्सएप कॉल अथवा वीसी से पहचान की थी। उसने जेल में छह व्यक्तियों को शिनाख्त किया था। प्रत्येक शिनाख्तगी की कार्यवाही के समय प्रदर्श पी 4 लगायत 11 पर उसके हस्ताक्षर एक अधिकारी करवा रहा था। उसने जो लूट होने वाले एटीएम, पैसे, आईकार्ड आदि बताया है, वे उसे आज तक नहीं

मिले, फिर खुद कहा कि उसे उसकी गाड़ी मिली है, जो टूटी हुई मिली थी। गाड़ी पुलिस वालों ने लाकर दी थी।

10— **पीडब्लू 4 शंकरलाल** ने यह साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 01.11.2020 को पुलिस थाना सिद्धमुख में मालखाना इंचार्ज के पद पर कार्यरत था। उस रोज मुकदमा नम्बर 111/2020 को थानाधिकारी कृष्णकुमार ने वजह सबूत एक दुर्घटनाग्रस्त कार व एक सफेद कपड़े की थैली में एक सील्डसुदा खाली खोखा डला हुआ मार्क ए लाकर उसे सम्भलाया जो उसने मालखाना रजिस्टर के क्रमांक संख्या 418 पर क्रं. सं. 1 व 2 पर इंद्राज कर जमा मालखाना किया तथा दिनांक 20.11.2020 को थानेदारजी नें एक सील्ड पैकेट मार्क बी,सी व डी लाकर उसे सम्भलाए जो उसने मालखाना रजिस्टर के क्रम संख्या 3,4 व 5 पर इंद्राज कर जमा मालखाना किया तथा दिनांक 06.12.2020 को एक इस्तेमाली रीयलमी एंडोइड फोन व एक फर्स जिसमें पांच सौ रूपये नकद व एक चांदी जैसी धातू की बिंटी व एक चैन लाकर सम्भलाई जो उसने मालखाना रजिस्टर के क्रंस. 6 पर इंद्राज कर जमा मालखाना की। वह मूलखाना रजिस्टर साथ लाया हैं ,मूल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 14 है जिस पर ए से बी स्थान पर वजह सबूत जमा करने का अंकन है तथा सी से डी स्थान पर मुकदमा व जमा करवाने वाले का नाम दर्ज है। ई से एफ स्थान पर जमा करवाने वाले थानाधिकारी श्री कृष्ण कुमार के हस्ताक्षर है। दिनांक 02.12.2020 को सुनील कुमार कानि. को सील्ड पैकेट मार्क ए बी सी डी को एफएसएल बीकानेर भिजवाने व श्रीमान पुलिस अधिक्षक चूरू से अग्रेषण पत्र जारी करवाने के लिए सील्ड पैकेट व चिट्‌टी के कागजात देकर रवाना किया था तथा सुनील कुमार कानि. दिनांक 04.12.2020 को एफएसएल बीकानेर द्वारा ऐतराज फरमाने पर सील्डसुदा हालात में पैकेट मार्क ए, बी, सी, डी वापस लाकर जमा मालखाना किया, जिसका इंद्राज जी से एच व आई से जे स्थानों पर है। के से एल स्थानों पर सुनील कानि. के हस्ताक्षर हैं तथा दिनांक 07.12.2020 को एतराज की पूर्ति कर अशोक कुमार कानि. को पुनः अग्रेषण पत्र जारी करवाने व एफएसएल में जमा करवाने हेतु सील्ड पैकेट मार्क ए, बी, सी, डी मय चिट्‌टी के कागजात सही व दुरस्त हालात में सम्भलाए थे। जिसने दिनांक 09.12.2020 को अग्रेषण पत्र क्रमांक संख्या 5340—41 दिनांक 07.12.2020 की प्रति व एफएसएल प्राप्ति रसीद संख्या 1372बीएएल/20 दिनांक 08.12.2020 की लाकर उसे सम्भलाई जिसका मालखाना रजिस्टर में एम से एन व ओ से पी स्थानों पर इंद्राज किया व अग्रेषण पत्र की प्रति व एफएसएल प्राप्ति रसीद अनुसंधान अधिकारी को सम्भला दी। क्यू से आर स्थानों पर अशोक कानि. के हस्ताक्षर है तथा एस से टी स्थानों पर उसके हस्ताक्षर है। मूल मालखाना रजिस्टर जिसकी प्रमाणित प्रति पत्रावली पर है जो प्रदर्श पी 14ए है। यू सें वी स्थानों पर थानाधिकारी श्री कृष्ण कुमार द्वारा प्रमाणिकरण के हस्ताक्षर है।

11— **प्रतिपरीक्षण** में गवाह ने कथन किया कि मालखाना इंचार्ज होने बाबत कोई

दस्तावेज उसके पास नहीं है। प्रदर्श पी 14 की सभी प्रविष्ठियां एक साथ नहीं की गई है, अलग–अलग दिनों को की गई है। दिनांक 01.11.2020 को प्रदर्श पी 14 में कमांक संख्या 1 व 2 का इंद्राज किया था परंतु उनके जमा करने का समय अंकित नही है, न ही जमा करवाने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी 14 में कमांक संख्या 1 व 2 का इंद्राज मुकदमा नम्बर 111 में करवाया था। प्रदर्श पी 14 में जो प्रविष्ठियां है, वे थानेदारजी कहां से लेकर आये, वह नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 14 की किसी भी प्रविष्ठी पर जमा करवाने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है, न हीं समय का अंकन है। यह सही है कि प्रदर्श पी 14 की प्रविष्ठि संख्या 1 व 2 के नीचे उसके भी हस्ताक्षर नहीं है। उसने वास्ते एफएसएल वजह सबूत करीब एक माह बाद भिजवाए थे, जिसका कारण वह नहीं बता सकता। फिर रजिस्टर देखकर कहा कि चार प्रविष्ठि दिनांक 20.11.2020 की है, जिसके वजह सबूत देरी से भिजवाये गये। उसने कैरियर को मार्क ए से डी दिये थे। उक्त चारों थैलियों में वजह सबूत क्या था, वह नहीं बता सकता। वजह सबूत वास्ते एफएसएल उसने दिनांक 02.11.2020 को दिये थे। उक्त चारों वजह सबूतों के अलावा उसने अग्रेषण पत्र दिया था, और क्या दिया था, उसे याद नहीं है। कैरियर दिनांक 04.12.2020 को वजह सबूत पर एफएसएल एतराज होने के कारण वजह सबूत लेकर वापिस थाने हाजिर आया थां। एफएसएल में वजह सबूत पर क्या एतराज लगा, वह नहीं बता सकता। एतराजों की पूर्ति कृष्ण कुमार आईओ ने की थी।

12– **पीडब्लू 5 भरत सिंह** ने यह कथन किया है कि वह दिनांक 08.08.2020 को पु0था0 सिद्धमुख में एएसआई के पद पर पदस्थापित था। उस रोज थानाधिकारी कृष्ण कुमार घटना स्थल कि ओर रवाना हुए तब चार्ज थाना का उसके पास था। उस परिवादी महेन्द्र सिंह निवासी भादरा ने एक लिखित रिर्पोट दी जो प्रदर्श पी 1 है जिस पर ए से बी स्थान पर परिवादी महेन्द्र सिंह के, सी से डी स्थान पर कार्यवाही पुलिस का अंकन व ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। लिखित रिर्पोट के आधार पर चाक एफआईआर दर्ज की जो प्रदर्श पी 2 है जिस पर ए से बी स्थान पर परिवादी महेन्द्र के व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। मुकदमा दर्ज कर मय लिखित रिर्पोट अग्रिम कार्यवाही हेतु थानाधिकारी के पास भिजवाई। **प्रतिपरीक्षण** में गवाह ने कथन किया कि प्रदर्श पी 1 थाना में पेश करने के समय थानाधिकारी थाना परिसर में मौजूद नहीं थे। प्रदर्श पी 1 लेने के समय उसने थानाधिकारी से संपर्क किया था। परिवादी के शरीर पर कोई जाहिर चोट नहीं थी, ना ही कपडे आदि फटे हुए थे। उसने लिखित प्रार्थना पत्र लेने के बाद एफआईआर दर्ज कर थानाधिकारी के पास भिजवाई, उस समय वे घटनास्थल पर मौजूद थे।

13– **पीडब्लू 6 बलवान** ने यह कथन किया है कि वह दिनांक 15.09.2020 को पुलिस थाना सिद्धमुख मे कानि. के पद पर कार्यरत था। उस रोज थानाधिकारी कृष्ण कुमार

ने जेल परिसर राजगढ से मुलजिम अंकित उर्फ हाउ को बापर्दा गिरफतार किया था जिसकी फर्द गिरफतारी एवं जामा तलाशी प्रदर्श पी 15 है जिस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर, सी से डी स्थान पर ओमप्रकाश कानि. व ई से एफ मुलजिम अंकित के हस्ताक्षर है। उसी रोज जेल परिसर राजगढ से साहिल उर्फ डॉक्टर को बापर्दा गिरफतार किया था जिसकी फर्द गिरफतारी एवं जामा तलाशी प्रदर्श पी 16 है जिस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर, सी से डी स्थान पर ओमप्रकाश कानि. व ई से एफ मुलजिम साहिल उर्फ डॉक्टर के हस्ताक्षर है। उसी रोज जेल परिसर राजगढ से मुलजिम राजेश को बापर्दा गिरफतार किया था जिसकी फर्द गिरफतारी एवं जामा तलाशी प्रदर्श पी 17 है जिस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर, सी से डी स्थान पर ओमप्रकाश कानि. व ई से एफ मुलजिम राजेश के हस्ताक्षर है। दिनांक 16.09.2020 को थानेदारजी ने बापर्दा मुलजिमान अंकित उर्फ हाउ, साहिल उर्फ डॉक्टर से मुताबिक इतला के घटनास्थल दयावठ से बीरमी रोड सडक आम पर की तस्दीक कर तस्दीक घटनास्थल तैयार किया जो क्रमशः प्रदर्श पी 18 व 19 है जिस पर ए से बी स्थानो पर उसके हस्ताक्षर, सी से डी स्थानो पर ओमप्रकाश कानि. व ई से एफ स्थानो पर मुलजिमान के हस्ताक्षर है। मुलजिमान अंकित उर्फ हाउ व साहिल से तस्दीक स्थल का नक्शा मौका तैयार किया जो प्रदर्श पी 20 है जिस पर ए से बी उसके, सी से डी ओमप्रकाश कानि0, ई से एफ स्थान पर मुलजिम अंकित, जी से एच मुलजिम साहिल के हस्ताक्षर है। उसी रोज मुलजिम राजेश द्वारा थानेदारजी को दी गई इतला के अनुसार योजनास्थल भगेला जोहडी की तस्दीक योजनास्थल तैयार की जो प्रदर्श पी 21 है जिस पर ए से बी उसके, सी से डी ओमप्रकाश कानि. के व ई से एफ मुलजिम राजेश के हस्ताक्षर है। तस्दीक योजनास्थल का नक्शा मौका तैयार किया जो प्रदर्श पी 22 है जिस पर ए से बी उसके, सी से डी ओमप्रकाश कानि. के व ई से एफ मुलजिम राजेश के हस्ताक्षर है। दिनांक 31.10.2020 को जिला कारागृह चूरू परिसर से मुलजिम विकास उर्फ काशी को थानेदारजी ने बापर्दा गिरफतार किया था जिसकी फर्द गिरफतार व जामा तलाशी प्रदर्श पी 23 है जिस पर ए से बी उसके, सी से डी ओमप्रकाश कानि. के व ई से एफ मुलजिम विकास के हस्ताक्षर है। उसी रोज मुलजिम विकास की इतला के अनुसार तस्दीक घटनास्थल सडक बीरमी से दयावठ तैयार की जो प्रदर्श पी 24 है जिस पर ए से बी उसके, सी से डी ओमप्रकाश कानि. के व ई से एफ मुलजिम विकास उर्फ काशी के हस्ताक्षर है। तस्दीकस्थल का नक्शा मौका तैयार किया जो प्रदर्श पी 25 है जिस पर ए से बी उसके, सी से डी ओमप्रकाश कानि. के व ई से एफ मुलजिम विकास उर्फ काशी के हस्ताक्षर है।

14— आगे गवाह **पीडब्लू 6 बलवान** ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 01.11.2020 को मुलजिम विकास उर्फ काशी की मुताबिक इतला के झाडली से सुंदरहटी से स्वीफट गाडी के पीछे नंबर प्लेट पर एचआर 13 एन2 लिखे हुए थे तथा गाडी की डिक्की मे

तीन नंबर प्लेट पडी हुई थी। जिसमे एक नंबर प्लेट आरजे 49 सीए 2591 जो परिवादी की गाडी के नंबर थे जिसको जरिए फर्द जब्त किया जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 26 है जिस पर ए से बी उसके, सी से डी ओमप्रकाश कानि. के व ई से एफ मुलजिम विकास उर्फ काशी के हस्ताक्षर है। मुलजिम विकास उर्फ काशी से जब्तसुदा स्वीफट कार के अंदर एक खाली खोखा मिला जिसकी पेंदी पर 7.65 केएफ गुदा हुआ था, को थानेदारजी ने जरिए फर्द अलग से जब्त किया जाकर एक सफेद कपडे की थैली मे डालकर थैली पर मार्क ए अंकित किया था जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 27 है जिस पर ए से बी उसके, सी से डी ओमप्रकाश कानि. के व ई से एफ मुलजिम विकास उर्फ काशी के हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थानो पर नमूना सील का अंकन है। बरामदगी स्थल का नक्शा मौका तैयार किया जो प्रदर्श पी 28 है जिस पर ए से बी उसके, सी से डी ओमप्रकाश कानि. के व ई से एफ मुलजिम विकास उर्फ काशी के हस्ताक्षर है। दिनांक 20.11.2020 को थानेदारजी ने जब्तसुदा स्वीफट गाडी का एफएसएल यूनिट चूरू को थाना पर बुलाकर गाडी का निरीक्षण करवाया था, एफएसएल यूनिट द्वारा दौराने निरीक्षण स्वीफट गाडी मे गोली लगने से हुए छेद का चौकोर टुकड़ा काटकर थानेदारजी को पेश किया था, को थानेदारजी ने एक सफेद कपडे की थैली मे डालकर सील मोहर कर मार्क बी अंकित किया जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 29 है जिस पर ए से बी उसके, सी से डी ओमप्रकाश कानि. के हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थान पर नमूना सील का अंकन है। उसी रोज एफएसएल यूनिट द्वारा स्वीफट गाडी के अंदर से दौराने निरीक्षण एक बुलेट मिला जो थानेदारजी को दिया जो थानेदारजी ने कब्जा पुलिस मे लेकर उसे एक सफेद कपडे की थैली मे डालकर मार्क सी अंकित किया जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 30 है जिस पर ए से बी उसके, सी से डी ओमप्रकाश कानि. के हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थान पर नमूना सील का अंकन है। उसी रोज एफएसएल यूनिट द्वारा गाडी का एक सीट कवर जो गोली चलने के दौरान सीट से निकली हुई गोली से आर–पार छेद था जो एफएसएल यूनिट द्वारा थानेदारजी को दिया था। थानेदारजी ने निरीक्षण कर उसे एक सफेद कपडे की थैली मे डालकर सील मोहर कर मार्क डी अंकित किया जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 31 है जिस पर ए से बी उसके, सी से डी ओमप्रकाश कानि. के हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थान पर नमूना सील का अंकन है।

15– **प्रतिपरीक्षण** में गवाह ने कथन किया कि अंकित उर्फ हाउ को गिरफतार करने से पूर्व अंकित उर्फ हाउ, राजेश व साहिल उर्फ डॉक्टर से अनुसंधान अधिकारी ने जेल परिसर राजगढ मे पूछताछ की थी, जो मुलजिमान को जेल से बाहर निकालने के बाद की थी। मुलजिमान का कोई पूछताछ नोट नहीं बनाया था। मुलजिमान से सामान्य पूछताछ की थी। प्रदर्श पी 15, 16, 17 उसने टाईप की थी परंतु इन पर राजगढ उप–कारागृह के किसी कर्मचारी के हस्ताक्षर नहीं है। मुलजिमान की गिरफतारी की सूचना उनके परिजनों को नहीं

दी थी। यह सही है कि आरोपीगण अंकित उर्फ हाउ, राजेश व साहिल उर्फ डॉक्टर ने अनुसंधान अधिकारी को उसके सामने धारा 27 की इतला नहीं दी थी। प्रदर्श पी 18, 19, 20 दिनांक 16.09.2020 को तैयार किए थे। प्रदर्श पी 18 की फर्द मे दिनांक के महिने मे कांट–छांट की गई है। प्रदर्श पी 20 तैयार किए, उस समय घटना संबंधी कोई अलामात नहीं थे। प्रदर्श पी 18, 19, 20 तैयार किये, उस समय अंकित उर्फ हाउ, साहिल उर्फ डॉक्टर व राजेश बापर्दा थे। उसके सामने आरोपी राजेश ने धारा 27 की कोई इतला नहीं दी थी। प्रदर्श पी 22 तैयार किया, उस समय आरोपी राजेश बापर्दा था लेकिन उस समय मौके पर कोई गाडी के टायरों व व्यक्ति के पैरो के निशान नहीं थे। यह सही है कि प्रदर्श पी 24, 18, 19, 20 जब तैयार किया, उस समय से पहले उक्त जगह थानाधिकारी की देखी हुई थी या नहीं, उसे जानकारी नहीं है। प्रदर्श पी 26 जहां से जब्त करनी बता रहा हूं, वह सडक के किनारे की जगह थी। यह सही है कि प्रदर्श पी 26 में दिखाई जगह पर किसी का स्वामित्व व कब्जा नहीं था। जो गाडी जब्त की थी, वह गाडी दुर्घटनाग्रस्त अवस्था में थी। जिस गाडी को जब्त किया था, उस गाडी में गाडी के स्वामित्व बाबत कोई दस्तावेज नहीं थे। यह सही है कि प्रदर्श पी 26 में जब गाडी जब्त करना बता रहे हैं, उससे पहले एफएसएल टीम को नहीं बुलाया था। प्रदर्श पी 29, 30, 31 पीएस सिद्धमुख मे तैयार किया गया था। प्रदर्श पी 29, 30, 31 में जो गाडी का फर्श का चौकोर टुकडा काटना बता रहे है, उस समय गाडी पीएस सिद्धमुख के परिसर में खडी थी।

16– **पीडब्लू 7 कृष्ण कुमार** का बयान है कि वह दिनांक 08.08.2020 को पीएस सिद्धमुख मे थानाधिकारी के पद पर पदस्थापित था। उस रोज गाडी लूट व फायरिंग की सूचना पर वह थाना से दयावठ से बीरमी रोड की तरफ रवाना हुआ तथा थाना का चार्ज श्री भरतसिंह एएसआई को संभलाया। भरतसिंह एएसआई ने परिवादी महेंद्र सिंह द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज कर परिवाद व मूल एफआईआर मेरे पास अमर सिंह कानि0 के साथ भिजवाई व हालात से उच्च अधिकारियो को अवगत करवाया तथा मौका कार्यवाही मे व्यस्त हुआ। टीमे गठित कर लूटसुदा कार तथा फायरिंग के अपराधियो की तलाश हेतु रवाना किया गया तथा दौराने अनुसंधान परिवाद का अवलोकन किया व परिवादी की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका तैयार किया जो प्रदर्श पी 3 है जिस पर ए से बी स्थान पर परिवादी, सी से डी गवाह ओमप्रकाश, ई से एफ स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। जिसका हालात मौका प्रदर्श पी 3ए है जिस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान गवाह परिवादी महेंद्र, अमरचंद, सोमवीर, सुंदरलाल, अशोक कुमार, नरेश देवी, शंकरलाल के बयान उनके बोले अनुसार लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किए। दिनांक 09.09.2020 को श्रीमान सीओ साहब राजगढ द्वारा मय जाब्ता डकैती की योजना बनाते हुए मुखबीर की सूचना पर राजगढ के पास झुंगली बुलाया जिसमे न्यांगली

रोही मे डकैती व मर्डर की योजना बनाते हुए गिरफतार किए गए मुलजिमान का प्रकरण संख्या 279/2020 धारा 399, 402 भा0द0स0 व धारा 3, 4, 7/25 आर्म्स एक्ट पुलिस थाना राजगढ मे दर्ज होने पर उसका अनुसंधान उच्च अधिकारियो के आदेशानुसार मेरे को सुपुर्द किया गया। दौराने अनुसंधान गिरफतारशुदा मुलजिमान मे से अंकित उर्फ हाउ, राजेश पुत्र रतनलाल, शिवम पुत्र संजीत, साहिल उर्फ डॉक्टर ने मुकदमा हाजा की वारदात को स्वीकार किया। जिनकी अलग से पूछताछ रिपोर्ट तैयार कर शामिल पत्रावली की। जिस पर दिनांक 15.09.2020 को अति0 मुख्य न्यायिक मजि0 राजगढ से मुकदमा नंबर 111/2020 मे उप–कारागृह राजगढ मे बंदी अंकित उर्फ हाउ, राजेश, शिवम, साहिल उर्फ डॉक्टर को प्रॉडक्सन वारंट पर तहरीर दी जो प्रदर्श पी 32 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है तथा उक्त तहरीर के आधार पर जारी प्रॉडक्सन वारंट प्रदर्श पी 33 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है, सी से डी स्थान पर एसीजेएम साहब के हस्ताक्षर है। प्राडक्सन वारंट के आधार पर उप–कारागृह राजगढ से मुलजिम अंकित उर्फ हाउ को बापर्दा गिरफतार किया था जिसकी फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 15 है जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान, ई से एफ स्थान पर मुलजिम अंकित व जी से एच स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। उसी रोज मुलजिम साहिल उर्फ डॉक्टर को बापर्दा गिरफतार किया जिसकी फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 16 है जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान, ई से एफ स्थान पर मुलजिम साहिल उर्फ डॉक्टर व जी से एच स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। उसी रोज मुलजिम राजेश को गिरफतार किया जिसकी फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 17 है जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान, ई से एफ स्थान पर मुलजिम राजेश व जी से एच स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान मुलजिम अंकित उर्फ हाउ ने इतला दी कि दिनांक 08.08.2020 को स्वीफट कार की लूट की थी वह आपको साथ चलकर बता सकता हूं। जिस पर फर्द इतला धारा 27 साक्ष्य अधिनियत तैयार की जो प्रदर्श पी 34 है जिस पर ए से बी अंकित उर्फ हाउ व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान मुलजिम साहिल उर्फ डॉक्टर ने इतला दी कि दिनांक 08.08.2020 को स्वीफट कार की लूट की थी वह आपको साथ चलकर बता सकता हूं। जिस पर फर्द इतला धाारा 27 साक्ष्य अधिनियत तैयार की जो प्रदर्श पी 35 है जिस पर ए से बी साहिल उर्फ डॉक्टर व सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

17– आगे गवाह **पीडब्लू 7 कृष्ण कुमार** का बयान है कि दौराने अनुसंधान मुलजिम राजेश ने इतला दी कि दिनांक 07.08.2020 को कार लूट की योजना बनाई थी और दिनांक 08.08.2020 को कार लूट के बाद वह विकास उर्फ काशी व उनके साथियो के साथ मिला था तथा उनका सहयोग किया था वह स्थान आपको साथ चलकर बता सकता हूं। जिस पर फर्द इतला धाारा 27 साक्ष्य अधिनियत तैयार की जो प्रदर्श पी 36 है जिस पर ए से बी राजेश व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। फर्द तस्दीक अजाने घटनास्थल बापर्दा मुलजिम अंकित उर्फ

हाउ प्रदर्श पी 18 है जिस पर ए से बी व सी से डी गवाहान, ई से एफ मुलजिम व जी से एच स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। फर्द तस्दीक अजाने घटनास्थल बापर्दा मुलजिम साहिल उर्फ डॉक्टर प्रदर्श पी 19 है जिस पर ए से बी व सी से डी गवाहान, ई से एफ मुलजिम व जी से एच स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। तस्दीक स्थल का नक्शा मौका तैयार किया जो प्रदर्श पी 20 है जिस पर ए से बी व सी से डी गवाहान के , ई से एफ व जी से एच तथा आई से जे मुलजिमान अंकित उर्फ हाउ, साहिल व शिवम के हस्ताक्षर है तथा के से एल स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। मुलजिम राजेश द्वारा योजना बनाने की इतला के मुताबिक तस्दीक योजनास्थल की फर्द तैयार की जो प्रदर्श पी 21 है जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहन के, ई से एफ मुलजिम व जी से एच स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। योजनास्थल का नक्शा मौका तैयार किया जो प्रदर्श पी 22 है जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहन के, ई से एफ मुलजिम व जी से एच स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। मुकदमा का मुलजिम विकास उर्फ काशी जिला कारागृह चूरू मे बंदी था जिसे मुकदमा मे अनुसंधान हेतु प्राप्त करने के लिए एसीजेएम साहब राजगढ से प्रॉडक्सन वारंट जारी करवाया जो प्रदर्श पी 37 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है व सी से डी एसीजेएम साहब विजेद्रं जी के हस्ताक्षर है। मुलजिम विकास उर्फ काशी को जिला कारागृह चूरू से दिनांक 31.10.2020 को बापर्दा गिरफतार किया था जिसकी फर्द गिरफतारी एवं जामा तलाशी प्रदर्श पी 23 है ए से बी, सी से डी गवाहन के, ई से एफ मुलजिम व जी से एच स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। मुलजिम विकास उर्फ काशी ने दौराने अनुसंधान स्वेच्छा से इतला दी की दिनांक 08.08.2020 को जिस स्थान पर उसने अपने साथियो के साथ मिलकर कार लूट की वह स्थान आपको साथ चलकर बता सकता हूं। जिस पर फर्द इतला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की तैयार की जो प्रदर्श पी 38 है जिस पर ए से बी मुलजिम विकास व सी से डी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। मुताबिक इतला तस्दीक घटनास्थल सडक दयावठ से बिरमी तैयार की जो प्रदर्श पी 24 है जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहन के, ई से एफ मुलजिम व जी से एच स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। तस्दीक घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार किया जो प्रदर्श पी 25 है जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहन के, ई से एफ मुलजिम व जी से एच स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। तस्दीक घ टनास्थल का हालात मौका प्रदर्श पी 25ए है जिस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। मुलजिम विकास उर्फ काशी ने दौराने अनुसंधान स्वेच्छा से इतला दी कि मै लूट की गई कार हरियाणा में झाडली से सुंदरहटी के बीच एक्सीडेंट हो गया वह स्थान आपको साथ चलकर बता सकता हूं। जिस पर फर्द इतला धारा 27 साक्ष्य अधि. तैयार की जो प्रदर्श पी 39 है जिस पर ए से बी मुलजिम विकास के, सी से डी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। मुलजिम विकास उर्फ काशी की इतला पर झाडली से सुंदरहटी के बीच विकास की निशानदेही पर लूट की हुई कार जब्त की, जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 26 है जिसकी पीछे

की नंबर प्लेट पर नंबर एचआर 13 एन 2 लिखे हुए थे तथा कार की डिक्की मे तीन नंबर प्लेट अलग–अलग नंबरो की थी जिसमे से एक नंबर प्लेट पर नंबर आरजे 49 सीए 2591 थे जो नंबर लूट की हुई गाडी के थे तथा गाडी के निरीक्षण मे सीट के नीचे से एक खाली खोखा मिला। स्वीफट कार की जब्ती प्रदर्श पी 26 पर ए से बी, सी से डी गवाहन, ई से एफ मुलजिम विकास, जी से एच स्थान पर उसके हस्ताक्षर है तथा कार मे मिले खाली खोखा का निरीक्षण किया तो उसके पैंदे पर केएफ 7.65 लिखा हुआ था जिसको कब्जा पुलिस मे लेकर उसे सफेद कपडे की थैली मे डालकर मार्क ए अंकित किया। जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 27 है जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहन के, ई से एफ मुलजिम व जी से एच स्थान पर उसके हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थानो पर नमूना सील का अंकन है।

18– आगे गवाह **पीडब्लू 7 कृष्ण कुमार** ने यह साक्ष्य दी है कि बरामदगी स्थल का नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श पी 28 है जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहन के, ई से एफ मुलजिम व जी से एच स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी 28 का हालात मौका प्रदर्श पी 28ए है जिस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। बापर्दा मुलजिम विकास उर्फ काशी ने स्वेच्छा से इतला दी कि दिनांक 08.08.2020 को स्वीफट कार की लूट की, जिसमे एक बैग था, उसमे फौजी की आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड था जो उसने सूरतगढ मे थर्मल प्लांट के पास कानोर हैड मे डाल दिया था। जिसकी फर्द इतला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की तैयार की जो प्रदर्श पी 40 है जिस पर ए से बी मुलजिम विकास उर्फ काशी व सी से डी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। मुकदमा में आरोपी सुधीर कुमार को केंद्रीय कारागृह 2 हिसार, मोहित उर्फ डागा जिला कारागृह जींद व नवदीप उर्फ छोटे, शेखर उर्फ हेप्पी व हर्ष उर्फ मोटा केंद्रिय कारागृह नं0 1 हिसार मे बंदी है। जिनको प्रॉडक्सन वारंट पर लेकर अनुसंधान हेतु एसीजेएम साहब को तहरीर दी जो प्रदर्श पी 41 है जिस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। एसीजेएम साहब द्वारा जिला कारागृह जींद मे बंदी मोहित उर्फ डागा को जिला कारागृह जींद को मुकदमा नंबर 111/2020 मे सुपुर्द करने के लिए जारी प्रॉडक्सन वारंट प्रदर्श पी 42 है जिस पर ए से बी स्थान पर उसके, सी से डी स्थान पर एसीजेएम साहब के हस्ताक्षर है तथा अभियुक्त नवदीप उर्फ छोटे, शेखर उर्फ हेप्पी, हर्ष उर्फ मोटा को प्रॉडक्सन वारंट पर सुपुर्द करने हेतु केंद्रिय कारागृह 1 हिसार के नाम प्रॉडक्सन वारंट जारी किया जो प्रदर्श पी 43 है जिस पर ए से बी उसके, सी से डी स्थान पर एसीजेएम साहब के हस्ताक्षर है तथा अभियुक्त सुधीर कुमार को प्रॉडक्सन वारंट पर सुपुर्द करने के लिए केंद्रिय कारागृह 2 हिसार के नाम से एसीजेएम साहब ने प्राडक्सन वारंट जारी किया जो प्रदर्श पी 44 है जिस पर ए से बी उसके, सी से डी स्थान पर एसीजेएम साहब के हस्ताक्षर है। मुलजिम छोटे उर्फ नवदीप को जेल हिसार नंबर 1 से दिनांक 06.11.2020 को बापर्दा गिरफतार किया जिसकी फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 45 है जिस पर ए से बी, सी से डी

गवाहन, ई से एफ मुलजिम नवदीप, जी से एच स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। उसी रोज मुलजिम शेखर उर्फ हेप्पी को बापर्दा गिरफतार किया जिसकी फर्द गिरफतारी एवं जामा तलाशी प्रदर्श पी 46 है जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहन, ई से एफ मुलजिम शेखर, जी से एच स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। उसी रोज मुलजिम हरेंद्र उर्फ हर्ष उर्फ मोटा को बापर्दा गिरफतार किया जिसकी फर्द गिरफतारी एवं जामा तलाशी प्रदर्श पी 47 है जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहन, ई से एफ मुलजिम हरेंद्र उर्फ हर्ष उर्फ मोटा, जी से एच स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। उसी रोज केंद्रीय कारागृह 2 हिसार से मुलजिम सुधीर को बापर्दा गिरफतार किया जिसकी फर्द गिरफतारी एवं जामा तलाशी प्रदर्श पी 48 है जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहन, ई से एफ मुलजिम सुधीर, जी से एच स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। मुलजिम मोहित उर्फ डागा को जेल जींद से बापर्दा गिरफतार किया था जिसकी फर्द गिरफतारी एवं जामा तलाशी प्रदर्श पी 49 है जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहन, ई से एफ मुलजिम मोहित उर्फ डागा, जी से एच स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। गिरफतारसुदा मुलजिम मोहित उर्फ डागा ने दौराने अनुसंधान स्वेच्छा से इतला दी कि उसने अपने साथियो के साथ मिलकर कार लूट की वह स्थान साथ चलकर बता सकता हूं जिस पर धारा 27 साक्ष्य अधि. की इतला तैयार की जो प्रदर्श पी 50 है जिस पर ए से बी मुलजिम मोहित उर्फ डागा, सी से डी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। गिरफतारशुदा मुलजिम सुधीर ने दौराने अनुसंधान स्वेच्छा से इतला दी कि उसने अपने साथियो के साथ मिलकर कार लूट की वह स्थान साथ चलकर बता सकता हूं जिस पर धारा 27 साक्ष्य अधि. की इतला तैयार की जो प्रदर्श पी 51 है जिस पर ए से बी मुलजिम सुधीर, सी से डी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। गिरफतारसुदा मुलजिम छोटे उर्फ नवदीप ने दौराने अनुसंधान स्वेच्छा से इतला दी कि उसने अपने साथियो के साथ मिलकर कार लूट की वह स्थान साथ चलकर बता सकता हूं जिस पर धारा 27 साक्ष्य अधि. की इतला तैयार की जो प्रदर्श पी 52 है जिस पर ए से बी मुलजिम छोटे उर्फ नवदीप, सी से डी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। गिरफतारसुदा मुलजिम शेखर उर्फ हेप्पी ने दौराने अनुसंधान स्वेच्छा से इतला दी कि उसने अपने साथियो के साथ मिलकर कार लूट की वह स्थान साथ चलकर बता सकता हूं जिस पर धारा 27 साक्ष्य अधि. की इतला तैयार की जो प्रदर्श पी 53 है जिस पर ए से बी मुलजिम शेखर उर्फ हेप्पी, सी से डी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है।

19— आगे गवाह **पीडब्लू 7 कृष्ण कुमार** ने यह साक्ष्य दी है कि गिरफतारशुदा मुलजिम हरेंद्र उर्फ हर्ष उर्फ मोटा ने दौराने अनुसंधान स्वेच्छा से इतला दी कि उनसे अपने साथियो के साथ मिलकर कार लूट की वह स्थान साथ चलकर बता सकता हूं जिस पर धारा 27 साक्ष्य अधि. की इतला तैयार की जो प्रदर्श पी 54 है जिस पर ए से बी मुलजिम हरेंद्र उर्फ हर्ष उर्फ मोटा, सी से डी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 07.11.2020 को बापर्दा मुलजिम हरेंद्र उर्फ हर्ष उर्फ मोटा की इतला के मुताबिक घटनास्थल की तस्दीक की थी

जिसकी तस्दीक घटनास्थल फर्द तैयार की जो प्रदर्श पी 55 है जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान, ई से एफ मुलजिम हरेंद्र, जी से एच स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। उसी रोज बापर्दा मुलजिम शेखर उर्फ हेप्पी की इतला के मुताबिक घटनास्थल की तस्दीक की थी जिसकी तस्दीक घटनास्थल फर्द तैयार की जो प्रदर्श पी 56 है जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान, ई से एफ मुलजिम शेखर उर्फ हेप्पी, जी से एच स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। उसी रोज बापर्दा मुलजिम सुधीर की इतला के मुताबिक घटनास्थल की तस्दीक की थी जिसकी तस्दीक घटनास्थल फर्द तैयार की जो प्रदर्श पी 57 है जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान, ई से एफ मुलजिम सुधीर, जी से एच स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। उसी रोज बापर्दा मुलजिम मोहित उर्फ डागा की इतला के मुताबिक घटनास्थल की तस्दीक की थी, जिसकी तस्दीक घटनास्थल फर्द तैयार की जो प्रदर्श पी 58 है जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान, ई से एफ मुलजिम मोहित उर्फ डागा, जी से एच स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। उसी रोज बापर्दा मुलजिम छोटे उर्फ नवदीप की इतला के मुताबिक घटनास्थल की तस्दीक की थी जिसकी तस्दीक घटनास्थल फर्द तैयार की जो प्रदर्श पी 59 है जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान, ई से एफ मुलजिम छोटे उर्फ नवदीप, जी से एच स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। मुलजिमान द्वारा दी गई इतला के अनुसार घटनास्थल तस्दीक तैयार कर तस्दीक घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श पी 60 है जिस पर ए से बी, सी से डी स्थान पर गवाहन, ई से एफ, जी से एच, आई से जे, के से एल, एम से एन मुलजिमान के हस्ताक्षर, ओ से पी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। तस्दीक घटनास्थल का हालात मौका प्रदर्श पी 60ए है जिस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। बापर्दा गिरफतार मोहित उर्फ डागा, सुधीर, छोटे उर्फ नवदीप, शेखर उर्फ हेप्पी, हरेंद्र उर्फ हर्ष उर्फ मोटा, अंकित उर्फ हाउ, साहिल उर्फ डॉक्टर, विकास उर्फ काशी की शिनाख्तगी की कार्यवाही हेतु श्रीमान एसीजेएम साहब राजगढ को तहरीर दी जिस पर श्रीमान एसीजेएम साहब ने उपखण्ड अधिकारी को शिनाख्तगी की कार्यवाही के लिए आदेश प्रेषित किया जो प्रदर्श पी 61 है जिस पर ए से बी एसीजेएम साहब के हस्ताक्षर है। शिनाख्तगी की कार्यवाही के लिए गवाह को जिला कारागृह चूरू मे उपस्थित आने के लिए पाबंद किया। दिनांक 10.11.2020 को शिनाख्तगी की कार्यवाही की गई। बाद शिनाख्तगी कार्यवाही के अनुसंधान हेतु विकास उर्फ काशी व नवदीप उर्फ छोटे को प्राप्त किया। दिनांक 11.11.2020 को दौराने अनुसंधान अभियुक्त विकास उर्फ काशी ने स्वेच्छा से इतला दी कि उसने फौजी का आई कार्ड व अन्य कागजात प्रमिंद्र निवासी बघेला हाल भोजासर तहसील सरदारशहर की ढाणी मे बने कमरे मे रखे थे वह स्थान व आई कार्ड साथ चलकर बता सकता हूं। जिस पर धारा 27 साक्ष्य अधि. की इतला तैयार की जो प्रदर्श पी 62 है जिस पर ए से बी विकास उर्फ काशी, सी से डी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। उसी रोज मुलजिम विकास उर्फ काशी ने स्वेच्छा से दौराने अनुसंधान इतला दी कि कार लूट के बाद

वह फरारी के दौरान चूली बागडियान मे जगमोहन के घर रूका था। जिसकी फर्द इतला प्रदर्श पी 63 है जिस पर ए से बी विकास, सी से डी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। मुताबिक इतला के ढाणी प्रमिंद्र भोजासर के कमरा से एक आधार कार्ड विकास उर्फ काशी ने पेश किया जो आधार कार्ड परिवादी महेंद्र सिंह का था, जिसका अवलोकन कर जरिए फर्द बरामद किया जिसकी फर्द बरामदगी प्रदर्श पी 64 है जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान, ई से एफ मुलजिम विकास, जी से एच उसके हस्ताक्षर है। बरामदगी स्थल का नक्शा मौका तैयार किया जो प्रदर्श पी 65 है जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान, ई से एफ मुलजिम विकास, जी से एच उसके हस्ताक्षर है। बरामदगी स्थल का हालात मौका प्रदर्श पी 65ए है जिस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है।

20— आगे गवाह **पीडब्लू 7 कृष्ण कुमार** ने यह साक्ष्य दी है कि जब्तशुदा कार का मोबाइल फोरेंसिक यूनिट जिला चूरू से निरीक्षण करवाया था। दौराने निरीक्षण स्वीफट कार की घटना के समय गोली लगी हुई थी। जिसका निशान मौजूद था, जिसको मोबाइल फोरेंसिक यूनिट के प्रभारी ने कार के फर्श का चौकोर टुकडा काटकर उसे मुकदमा का वजह सबूत होने के कारण दिया जिसका अवलोकन कर उसने एक सफेद कपडे की थैली मे डालकर सील मोहर कर मार्क बी अंकित किया जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 29 है जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान के, इ से एफ उसके हस्ताक्षर है व एक्स स्थानो पर नमूना सील का अंकन है। दौराने निरीक्षण मोबाइल फोरेंसिक यूनिट द्वारा कार के फर्श का टुकडा काटा उसके अंदर एक चला हुआ बुलेट मिला जिसको फोरेंसिक यूनिट के प्रभारी ने उसे दिया जिसका उसने अवलोकन कर एक सफेद कपडे की थैली मे डालकर सील मोहर कर मार्क सी अंकित किया जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 30 है जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान के, इ से एफ स्थान पर उसके हस्ताक्षर तथा एक्स स्थानो पर नमूना सील का अंकन है तथा दौराने निरीक्षण घटना के समय कार पर चली गोली से कार के पीछे की सीट पर दो छेद थे, सीट को हटाकर उसके नीचे गोली का फर्श पर छेद था। उस सीट कवर को फोरेंसिक यूनिट ने मुकदमा का वजह सबूत होने के कारण उसे दिया जिसका अवलोकन कर उसे एक सफेद कपडे की थैली मे डालकर सील मोहर कर मार्क डी अंकित कर जरिए फर्द जब्त किया जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 31 जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान के, ई से एफ उसके व एक्स स्थान पर नमूना सील का अंकन है। दिनांक 06.12.2020 को मुलजिम प्रविंद्र उर्फ धौलिया को गिरफतार किया था जिसकी फर्द गिरफतारी व जामा तलाशी प्रदर्श पी 67 है जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहन के, ई से एफ अभियुक्त प्रविंद्र के, जी से एच उसके हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थान पर प्रविंद्र की फोटो है। प्रविंद्र उर्फ धौलिया ने दौराने अनुसंधान स्वेच्छा से इतला दी कि दिनांक 08.08.2020 को स्वीफट कार की रैकी की जिसकी फर्द इतला धारा 27 साक्ष्य अधि0 तैयार की जो प्रदर्श पी 68 है जिस पर ए से बी स्थान पर

मुलजिम प्रविंद्र व सी से डी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। मुताबिक इतला रैकीस्थल की तस्दीक की जिस पर फर्द तस्दीक रैकी स्थल तैयार की जो प्रदर्श पी 69 है जिस पर ए से बी, सी से डी स्थान पर गवाहान के, ई से एफ मुलजिम प्रविंद्र के व जी से एच स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। रैकीस्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 70 है जिस पर ए से बी, सी से डी स्थान पर गवाहान के, ई से एफ मुलजिम प्रविंद्र के व जी से एच स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। जिसका हालात मौका प्रदर्श पी 70ए है जिस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। परिवादी महेंद्र सिंह का आधार कार्ड मुलजिम विकास उर्फ काशी की इतला पर बरामद किया जिसका मूल आधार कार्ड प्रदर्श पी 71 है जिस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। मोबाइल फोरेसिंक यूनिट के प्रभारी कृष्ण कुमार गुगड़ द्वारा कार का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की गई व कार के वरवक्त घटना लगी गोली के संबंध मे वजह सबूत संभलाए तथा निरीक्षण रिपोर्ट दी जो उसने शामिल पत्रावली की। मुकदमा का वजह सबूत उसने मालखाना इंचार्ज को सील्डसुदा हालात में संभलाकार मालखाना रजिस्टर मे इंद्राज कर जमा मालखाना किया। मुलजिमान की गिरफतारी की सूचना उनके बताए अनुसार अलग से दी। मुलजिमान की शिनाख्तगी परेड की प्रपत्र की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली की। उसने मुकदमा हाजा के अभियुक्त विकास उर्फ काशी को फरारी के दौरान जगमोहन पुत्र ओमप्रकाश निवासी चुली बागडियान पुलिस थाना मंडी आदमपुर को शरण देने पर मुकदमा का मुलजिम मानकर उसे उसके जमानत मुचलके भरकर छोडा गया था। जिसका बंद पत्र प्रदर्श पी 72 है जिस पर ए से बी जगमोहन के हस्ताक्षर, सी से डी जमानती सुदरलाल के हस्ताक्षर है, एक्स स्थान पर जगमोहन की फोटो व वाई स्थान पर जमानतदार की फोटो तथा ई से एफ स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। जगमोहन का आधार कार्ड प्रदर्श पी 73 है जिस पर ए से बी स्थान पर जगमोहन के हस्ताक्षर है, सी से डी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है तथा जमानतदार सुंदरलाल का आधार कार्ड पत्रावली पर है। मुलजिम मोहित उर्फ डागा, सुधीर, नवदीप उर्फ छोटू का पुलिस थाना जुलाणा का आपराधिक रिकॉर्ड प्रदर्श पी 74 है जिस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है तथा सी से डी स्थान पर थाना द्वारा प्रमाणिकरण व सील मोहर का अंकन है।

21— आगे गवाह **पीडब्लू 7 कृष्ण कुमार** ने साक्ष्य में यह कथन किया है कि मुलजिम जगमोहन का आपराधिक रिकॉर्ड प्रदर्श पी 75 है जिस पर ए से बी स्थान पर पीएस आदमपुर द्वारा प्रमाणिकर के हस्ताक्षर है। मुलजिमान के संबंध मे एफआईआर व चार्जशीट व फर्द इंसाफ आदि की फोटो प्रतियां व प्रमाणित प्रतियां पुलिस थाना जींद सदर की एफआईआर प्रदर्श पी 76 है जिस पर ए से बी स्थान पर प्रमाणिकरण के हस्ताक्षर है तथा फर्द इंसाफ आरोपी मोहित उर्फ डागा प्रदर्श पी 77 है जिस पर ए से बी प्रमाणिकरण के सील मोहर है। फर्द इंसाफ आरोपी सुधीर प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 78 है जिस पर ए से बी प्रमाणिकरण की

सील मोहर है। जेल मे शिनाख्तगी के समय गवाह महेंद्र सिंह की आउटिंग की रजिस्टर की प्रति प्रदर्श पी 79 है जिस पर ए से बी कारापाल के प्रमाणिकरण के हस्ताक्षर है। उसने मुकदमा का वजह सबूत एफएसएल भेजने हेतु मालखाना इंचार्ज को निर्देशित कर अशोक कुमार कानि. के साथ सील्डसुदा वजह सबूत मय चिटी के कागजात भिजवाया था, जिन्होने श्रीमान एसपी कार्यालय चूरू से अग्रेषण पत्र जारी करवाकर एफएसएल बीकानेर मे प्राप्ति रसीद लाकर दी जो मालखाना इंचार्ज ने उसे संभलाई जिसका अवलोकन कर शामिल पत्रावली की। अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 80 है जिस पर ए से बी अशोक कानि., सी से डी एसपी साहब के हस्ताक्षर है। एफएसएल प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 81 है। अशोक कानि0 की रवानगी प्रदर्श पी 82 है जिस पर ए से बी उसके प्रमाणिकरण के हस्ताक्षर है। जींद थाना की आमद रवानगी प्रदर्श पी 83 है जिस पर ए से बी प्रमाणिकरण के हस्ताक्षर है। मुलजिमान की गिरफतारी की सूचना देने की रपट रोजनामचा की नकल प्रदर्श पी 84 व 85 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 08.08.2020 की वापसी रोजनामचा रपट प्रदर्श पी 86 है जिस पर ए से बी उसके प्रमाणिकरण के हस्ताक्षर है। मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 14ए है जिस पर यू से वी उसके प्रमाणिकरण के हस्ताक्षर है। दिनांक 08.08.2020 को घटना के संबंध मे मुलजिमान की स्कॉर्पियो गाडी घटनास्थल रोड पर आकर वापिस जाने की बिरमी राम ईंट उद्योग पर लगे सीसीटीवी कैमरे की सीडी ली जाकर शामिल पत्रावली की। सीडी आर्टिकल 1 है जिस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। सीडी के संबंध मे धारा 65 बी का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी 87 है जिस पर ए से बी स्थान पर बाबूलाल के हस्ताक्षर व सी से डी स्थान पर उसके द्वारा शामिल पत्रावली का अंकन है। मोबाइल फोरेंसिक यूनिट के प्रभारी को दी गई तहरीर प्रदर्श पी 88 है जिस पर ए से बी स्थान पर उसने हस्ताक्षर है, सी से डी स्थान पर प्राप्त कर्ता के हस्ताक्षर है। उसने द्वारा शिनाख्तगी की कार्यवाही के लिए तहसीलदार को महेंद्र सिंह के नाम से सम्मन जारी करवाने के लिए दी गई तहरीर प्रदर्श पी 89 है, जिस पर ए से बी उसने, सी से डी स्थान पर प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर है। मुलजिमान की स्कॉर्पियो गाडी व परिवादी की लूट की स्वीफट कार की सीसीटीवी कैमरे की फुटैज प्रदर्श पी 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 है जिस पर ए से बी उसने शामिल पत्रावली के हस्ताक्षर है। मुकदम का सील्डसुदा वजह सबूत आज न्यायालय मे पेश है जिसे न्यायालय की अनुमति से खोला जाकर प्रदर्शित करवाया जाना है। जिस पर न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई। घटना में प्रयुक्त हथियार प्रकरण संख्या 279/2020 पुलिस थाना राजगढ अपराध अंतर्गत धारा 399, 402 भा0द0स0 व 3, 4, 7/25 आर्म्स एक्ट में जब्त किए गए थे। एफएसएल की सील से सील्डसुदा एक सफैद कपडे की थैली जिस पर पैकेट मार्क ए व मुकदमा का अंकन है जिसे खोला गया तो उसके अंदर थाना पर की गई सील मोहर की सफेद कपडे की थैली निकली तथा उस पर चिट दस्तख्ती पैकेट मार्क ए एक खाली खोखा

चस्पा की हुई है। जिसे साईड से एफएसएल द्वारा कट किया हुआ है तथा मुंह पर केके नाम की सील लगी हुई है। मूल चिट दस्तख्ती प्रदर्श पी 97 है जिस पर ए से बी मुकदमा का अंकन, सी से डी व ई से एफ गवाहान, जी से एच मुलजिम विकास, आई से जे स्थान पर उसके हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थानो पर नमूना सील का अंकन है। चिट दस्तख्ती की कार्बन प्रति प्रदर्श पी 97ए है तथा थैली के अंदर एक खाली खोखा निकला, जो आर्टिकल 2 है।

22— आगे गवाह **पीडब्लू 7 कृष्ण कुमार** ने यह कथन किया है कि एफएसएल की सील से सील्डशुदा एक सफैद कपडे की थैली जिस पर पैकेट मार्क बी व मुकदमा का अंकन है जिसे खोला गया तो उसके अंदर थाना पर की गई सील मोहर की सफेद कपडे की थैली निकली तथा उस पर चिट दस्तख्ती पैकेट मार्क बी एक गाडी के फर्श का चौकोर टुकडा चस्पा की हुई है जिस थैली को साईड से एफएसएल द्वारा कट किया हुआ है तथा मुंह पर केके नाम की सील लगी हुई है। मूल चिट दस्तख्ती प्रदर्श पी 98 है जिस पर ए से बी मुकदमा का अंकन, सी से डी व ई से एफ गवाहान, जी से एच स्थान पर उसके हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थानो पर नमूना सील का अंकन है। चिट दस्तख्ती की कार्बन प्रति प्रदर्श पी 98ए है तथा थैली के अंदर निकला गाडी के फर्श का चौकोर टुकडा निकला जिसके अंदर छेद है तथा उस पर मार्कर से पैकेट मार्क बी व मुकदमा का अंकन लिखा हुआ है जो आर्टिकल 3 है। एफएसएल की सील से सील्डसुदा एक सफैद कपडे की थैली जिस पर पैकेट मार्क सी व मुकदमा का अंकन है जिसे खोला गया तो उसके अंदर थाना पर की गई सील मोहर की सफेद कपडे की थैली निकली तथा उस पर चिट दस्तख्ती पैकेट मार्क सी एक चला हुआ बुलेट लिखा चस्पा की हुई है जिस थैली को साईड से एफएसएल द्वारा कट किया हुआ है तथा मुंह पर केके नाम की सील लगी हुई है। मूल चिट दस्तख्ती प्रदर्श पी 99 है जिस पर ए से बी मुकदमा का अंकन, सी से डी व ई से एफ गवाहान, जी से एच स्थान पर उसके हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थानो पर नमूना सील का अंकन है। चिट दस्तख्ती की कार्बन प्रति प्रदर्श पी 99ए है तथा थैली के अंदर एक चला हुआ बुलेट निकला जो आर्टिकल 4 है। एफएसएल की सील से सील्डसुदा एक सफैद थैली जिस पर पैकेट मार्क डी व मुकदमा का अंकन है जिसके उपर मूल चिट दस्तख्ती पैकेट मार्क डी चस्पा की हुई थी जिस पर मुकदमा का अंकन किया हुआ है जिसे खोला गया तो उसके अंदर एक कार का सीट कवर व एक चिट दस्तख्ती कार्बन प्रति निकली, सीट कवर पर वरवक्त घटना मुलजिमान द्वारा चलाई गई गोली से हुए दो छेद के निशान है जिन पर एफएसएल द्वारा गोल आकार कर पी और एक्स से मार्क किया हुआ है। मूल चिट दस्तख्ती प्रदर्श पी 100 है जिस पर ए से बी मुकदमा का अंकन, सी से डी व ई से एफ गवाहान, जी से एच स्थान पर उसके हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थानो पर नमूना सील का अंकन है। चिट दस्तख्ती की कार्बन प्रति प्रदर्श पी 100ए है तथा थैली के अंदर एक सीट कवर निकला जो आर्टिकल 5 है।

23— आगे गवाह **पीडब्लू 7 कृष्ण कुमार** ने यह कथन किया है कि मुकदमा हाजा मे लूटसुदा कार पर फर्जी नंबर प्लेट लगाने व नंबरो का कूटकरण करने के कारण धारा 420, 465 भा0दं0स0 ईजाद की गई। उसने मुकदमा का अनुसंधान पूर्ण कर अभियुक्त 1. मोहित उर्फ डागा पुत्र नरेश, 2. सुधीर पुत्र राजवीर, 3. छोटे उर्फ नवदीप पुत्र पवन उर्फ फंडी, 4. शेखर उर्फ हैप्पी पुत्र मुकेश, 5. हरेंद्र उर्फ हर्ष उर्फ मोटा पुत्र मुकेश, 6. अंकित उर्फ हाउ पुत्र ओमप्रकाश, 7. विकास उर्फ काशी पुत्र नरसिंह, 8. साहिल उर्फ डॉक्टर पुत्र कर्मवीर, 9. विधि से संघर्षरत किशोर शिवम के खिलाफ जुर्म धारा 395, 397, 482, 420, 465, 120बी भा0द0स0 व 5/27 आर्म्स एक्ट तथा 10. राजेश पुत्र रतनलाल, 11. प्रविंद्र उर्फ धौलिया पुत्र नत्थूराम के खिलाफ जुर्म धारा 395, 397, 482, 420, 465, 120बी भा0द0स0 व 13. जगमोहन पुत्र ओमप्रकाश के खिलाफ जुर्म धारा 212 भा0दं0स0 मे बखूबी प्रमाणित पाए जाने पर चार्जशीट न्यायालय मे पेश की जो प्रदर्श पी 101 है जिस पर ए से बी स्थानो पर उसके हस्ताक्षर है। उसने मुकदमा के अनुसंधान के दौरान जब्त किये वजह सबूत एफएसएल बीकानेर परीक्षण हेतु भिजवाये थे। जिसकी एफएसएल रिर्पोट बाद परीक्षण प्राप्त होने पर न्यायालय में पेश की गई थी। एफएसएल रिर्पोट प्रदर्श पी 103 है। एफएसएल रिर्पोट के साथ उसके द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी 104 है जिस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है।

24— **प्रतिपरीक्षण** में गवाह ने कथन किया कि प्रदर्श पी 1 उसके समक्ष पेश नहीं की गई थी। उसे सूचना सुबह 06.30 बजे मिली थी, जो थाना में फोन आया था। उसे रास्ते में परिवादी महेन्द्र सिंह नही मिला व ना ही उसनें परिवादी से सम्पर्क करने का प्रयास किया। पत्रावली में रवानगी बाबत् रपट नही है, वापसी रपट है। जब वह मौके पर गया, वहां गाड़ी के टायरो के निशान व आदमियों के पैरो के निशान थे। यह सही है कि उसने आदमियों के पैरो के निशान व गाड़ी के टायरो के निशान बाबत् मोल्ड तैयार नही किये, फिर कहा कि मोल्ड लेने लायक निशान नही थे क्योंकि काफी लोग वहां घूम चुके थे। प्रदर्श पी 3 तैयार किया, उस समय अडोसी पड़ोसी काश्तकार मौजूद थे और उन काश्तकारो से पूछताछ की थी लेकिन वे कुछ बताने में सक्षम नही थे। वह परिवादी महेन्द्र सिंह से उसी रोज मिला और परिवादी से अनुसंधान कर लिया था। दिनांक 08.08.2020 को सिद्धमुख से अपने गांव भाडंग जा रहा था। परिवादी सिद्धमुख अपनी बहन के घर आया हुआ था। परिवादी उस समय गाडी में अकेला था। परिवादी के पास मोबाईल फोन था। उसने परिवादी की लोकेशन व कॉल डिटेल बाबत् अनुसंधान किया था परंतु वह पत्रावली पर नही है। पहली गिरफतारी से पहले उसने ईंट भट्टो के सीसीटीवी कैमरो के फुटेज व हरियाणा टोल नाको के कैमरो की फुटेज, घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियों जो बरवाला कस्बा से लूट की थी, वहां से भी उसने अनुसंधान किया था। पहली गिरफतारी से पूर्व घटना के आसपास व मुस्तगीस द्वारा कुछ व्यक्तियों के नाम जैसे छोटे, हाउ, हैप्पी आदि नाम पुकार रहे थे। पुलिस थाना राजगढ में दिनांक 06.09.

2020 को 279/2020 अंतर्गत धारा 399, 402 भा0द0स0 व आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसमें पुलिस थाना राजगढ में 4 आरोपियो को पकड़ा था व एक भाग गया था। राजगढ पुलिस द्वारा पकड़े गये 4 आरोपियों में से 3 को उसने इस प्रकरण में आरोपी माना व एक को आरोपी नहीं माना था। परिवादी ने प्रकरण में लूट करने वालो की संख्या बल 7—8 बतायी थी। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 1 लिखित रिपोर्ट में लूट करने वालो की संख्या 5—6 बताई है। अंकित उर्फ हाउ, साहिल उर्फ डाक्टर, राजेश को उप—कारागृह राजगढ से गिरफतार किया था। राजगढ पुलिस के द्वारा प्रकरण 279/2020 में राजेश को छोड़कर अंकित उर्फ हाउ व साहिल उर्फ डाक्टर को बापर्दा जेसी किया था। दिनांक 15.09.2020 से पूर्व अंकित उर्फ हाउ व साहिल उर्फ डाक्टर व राजेश से एफआईआर संख्या 111/2020 बाबत् अनुसंधान किया था परंतु ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर नहीं है। यह सही है कि प्रदर्श पी 34 ता 36 में किसी भी गाड़ी जिसके साथ लूट की हो, उस गाड़ी के पंजीकरण नंबर नही है और ना ही विशेष जगह का नाम अंकित है। यह सही है कि प्रदर्श 18 से 21 में जो जगह तस्दीक करना बता रहा हूं, वह जगह उसके द्वारा दिनांक 16.09.2020 से पहले देखी हुई थी। उसने अंकित उर्फ हाउ व साहिल उर्फ डाक्टर व राजेश की कॉल डिटेल व लोकेशन संबंधी कोई अनुसंधान नहीं किया था। प्रदर्श पी 39 उसने पुलिस थाना में उसके ऑफिस में तैयार की थी। प्रदर्श पी 26 उसने झाडली से सुंदरहटी के बीच में तैयार की थी। प्रकरण में जप्त गाड़ी सड़क के नजदीक खेत में पलटी खाई हुई पड़ी हुई थी। जिस जगह कार मिली थी, वह जगह सार्वजनिक थी, किसी विशिष्ट व्यक्ति के कब्जे में नहीं थी। उक्त गाड़ी सालावास थाना क्षेत्र में थी। उसंने सालावास थाना वालो से प्रकरण में जप्तशुदा गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने बाबत् कोई अनुसंधान नहीं किया, केवल फोन पर जानकारी ली थी। गाड़ी लावारिस थी व खुली थी। गाड़ी में घटना संबंधी या किसी व्यक्ति के खून आदि के अलामात नही मिले थे, फिर कहा एक खोखा मिला था। गाड़ी में किसी व्यक्ति के व गाड़ी के दस्तावेजात नही मिले थे। यह सही है कि प्रदर्श पी 40 में किसी गाड़ी के नंबरो व दस्तावेज किसके नाम से थे, इस बाबत् कोई जानकारी नहीं लिखी हुई है, फिर कहा कि फौजी नाम लिखा हुआ है। प्रदर्श पी 64 में जप्त आधार कार्ड परमिंदर भोजासर के खेत में बने एक झोपड़े से बरामद किया था। उक्त झोपड़ा परमिंदर का था। परमिंदर की ढाणी में उस रोज कोई नही मिला था। यह सही है कि विकास व जगमोहन के फोन संबधी व लोकेशन संबधी कोई अनुसंधान नही किया। मोहित उर्फ डागा, शेखर उर्फ हैप्पी, हरेन्द्र उर्फ मोटा व सुधीर तथा नवदीप उस वक्त बरवाला स्कॉर्पियो लूट प्रकरण में जेल में बंद था। प्रदर्श पी 51 से प्रदर्श पी 54 में नंबर आदि के बारे में कोई उल्लेख नही है। यह सही है कि प्रदर्श पी 68 में कार के नंबर व पंजीकरण के नंबर के बारे में कोई उल्लेख नही है। प्रदर्श पी 69 में जिस जगह का उल्लेख है वह रैकी करने वाली जगह है।

25— आगे गवाह **पी0ड0—7 कृष्ण कुमार ने प्रतिपरीक्षण** में कथन किया है कि मोहित उर्फ डागा, सुधीर, छोटे उर्फ नवदीप, शेखर उर्फ हैपी, हरेन्द्र उर्फ मोटा, अंकित उर्फ हाउ, विकास उर्फ कासी, साहिल उर्फ डॉक्टर, राजेश को उसने दौराने अनुसंधान न्यायिक अभिरक्षा से गिरफतार किया था। उसके द्वारा प्रकरण में गिरफतार किये गये सभी व्यक्तियो की कॉल डिटेल व लोकेशन बाबत् कोई अनुसंधान नही किया गया। परिवादी से शिनाख्तगी की कार्यवाही करवायी थी परंतु तारीख ध्यान नही है। शिनाख्त की कार्यवाही के दौरान वह जेल के अंदर नही गया था। यह कहना सही है कि प्रकरण में दौराने अनुसंधान किसी भी व्यक्ति से कोई हथियार की बरामदगी नहीं हुई थी, फिर कहा कि इस प्रकरण में जो हथियार काम में लिये गये थे, वे पुलिस थाना राजगढ़ के प्रकरण सं. 279/2020 और हरियाणा में गिरफतार हुए मुलजिमो से वहां भी बरामद हो चुके थे। प्रकरण में पकड़े गये व्यक्तियो से जिस प्रकरण में हथियारो की जब्ती होना बता रहा हू, उन जब्ती अधिकारियो से उसने कोई अनुसंधान नहीं किया। यह सही है कि परिवादी महेन्द्र ने अपने लिखित प्रार्थना पत्र में अपने साथ घटना कारित करने वाले व्यक्तियो की संख्या पांच—छह बतायी थी, फिर कहा कि उसके अनुसंधान में आया था कि 3—4 व्यक्ति घटना के दौरान गाड़ी से नीचे नहीं उतरे थे। वह नही बता सकता कि कौन—कौन तीन—चार व्यक्ति गाड़ी के अंदर बैठे थें।

26— **पीडब्लू 8 ओमप्रकाश** ने यह कथन किया है कि वह दिनांक 15.09.2020 को पुलिस थाना सिद्धमुख में कानि. के पद पर कार्यरत था। उस रोज थानाधिकारी कृष्ण कुमार ने जेल परिसर राजगढ से मुलजिम अंकित उर्फ हाउ को बापर्दा गिरफतार किया था जिसकी फर्द गिरफतारी एवं जामा तलाशी प्रदर्श पी 15 है जिस पर ए से बी स्थान पर बलवान कानि0, सी से डी स्थान पर उसके व ई से एफ मुलजिम अंकित के हस्ताक्षर है। उसी रोज जेल परिसर राजगढ से साहिल उर्फ डॉक्टर को बापर्दा गिरफतार किया था जिसकी फर्द गिरफतारी एवं जामा तलाशी प्रदर्श पी 16 है जिस पर ए से बी स्थान पर बलवान कानि0, सी से डी स्थान पर उसके व ई से एफ मुलजिम साहिल उर्फ डॉक्टर के हस्ताक्षर है। उसी रोज जेल परिसर राजगढ से मुलजिम राजेश को बापर्दा गिरफतार किया था जिसकी फर्द गिरफतारी एवं जामा तलाशी प्रदर्श पी 17 है जिस पर ए से बी स्थान पर बलवान कानि0, सी से डी स्थान पर मेरे व ई से एफ मुलजिम राजेश के हस्ताक्षर है। दिनांक 16.09.2020 को थानेदारजी ने बापर्दा मुलजिमान अंकित उर्फ हाउ, साहिल उर्फ डॉक्टर से मुताबिक इतला के घटनास्थल दयावठ से बीरमी रोड सडक आम पर की तस्दीक कर तस्दीक घटनास्थल तैयार किया जो क्रमशः प्रदर्श पी 18 व 19 है जिस पर ए से बी स्थानो पर बलवान कानि0 के हस्ताक्षर, सी से डी स्थानो पर उसके व ई से एफ स्थानो पर मुलजिमान के हस्ताक्षर है। मुलजिमान अंकित उर्फ हाउ व साहिल से तस्दीक घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार किया जो प्रदर्श पी 20 है जिस पर ए से बी बलवान कानि0, सी से डी मेरे, ई से एफ स्थान पर

मुलजिम अंकित, जी से एच मुलजिम साहिल के, आई से जे स्थान पर शिवम के हस्ताक्षर है। उसी रोज मुलजिम राजेश द्वारा थानेदारजी को दी गई इतला के अनुसार योजनास्थल भगेला जोहडी की तस्दीक योजनास्थल तैयार की जो प्रदर्श पी 21 है जिस पर ए से बी बलवान कानि0, सी से डी उसके व ई से एफ मुलजिम राजेश के हस्ताक्षर है। तस्दीक योजनास्थल का नक्शा मौका तैयार किया जो प्रदर्श पी 22 है जिस पर ए से बी बलवान कानि0, सी से डी उसके व ई से एफ मुलजिम राजेश के हस्ताक्षर है। दिनांक 31.10.2020 को जिला कारागृह चूरू परिसर से मुलजिम विकास उर्फ काशी को थानेदारजी ने बापर्दा गिरफतार किया था जिसकी फर्द गिरफतार व जामा तलाशी प्रदर्श पी 23 है जिस पर ए से बी बलवान कानि0, सी से डी उसके व ई से एफ मुलजिम विकास के हस्ताक्षर है। उसी रोज मुलजिम विकास की इतला के अनुसार तस्दीक घटनास्थल सडक बीरमी से दयावठ तैयार की जो प्रदर्श पी 24 है जिस पर ए से बी बलवान कानि0, सी से डी उसके व ई से एफ मुलजिम विकास उर्फ काशी के हस्ताक्षर है। तस्दीकस्थल का नक्शा मौका तैयार किया जो प्रदर्श पी 25 है जिस पर ए से बी बलवान कानि0, सी से डी उसके व ई से एफ मुलजिम विकास उर्फ काशी के हस्ताक्षर है।

27— आगे गवाह **पीडब्लू 8 ओमप्रकाश** ने यह कथन किया है कि दिनांक 01.11.2020 को मुलजिम विकास उर्फ काशी की मुताबिक इतला के झाडली से सुंदरहटी से स्वीफट गाडी के पीछे नंबर प्लेट पर एचआर 13 एन2 लिखे हुए थे तथा गाडी की डिक्की मे तीन नंबर प्लेट मिली जो एक सफेद रंग की व दो पीले रंग की थी। जिनमे से एक सफेद नंबर की नंबर प्लेट पर आरजे 49 सीए 2591 लिखे थे जो परिवादी की गाडी के नंबर थे जिसको जरिए फर्द जब्त किया जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 26 है जिस पर ए से बी बलवान कानि0, सी से डी उसके व ई से एफ मुलजिम विकास उर्फ काशी के हस्ताक्षर है। मुलजिम विकास उर्फ काशी से जब्तसुदा स्वीफट कार का थानेदारजी द्वारा अवलोकन करने पर अंदर एक खाली खोखा मिला जिसकी पेंदी पर 7.65 केएफ गुदा हुआ था, को थानेदारजी ने जरिए फर्द अलग से जब्त किया जाकर एक सफेद कपडे की थैली मे डालकर थैली पर मार्क ए अंकित किया था जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 27 है जिस पर ए से बी बलवान कानि0, सी से डी उसके व ई से एफ मुलजिम विकास उर्फ काशी के हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थानो पर नमूना सील का अंकन है। बरामदगी स्थल का नक्शा मौका थानेदारजी ने तैयार किया जो प्रदर्श पी 28 है जिस पर ए से बी बलवान कानि0, सी से डी उसके व ई से एफ मुलजिम विकास उर्फ काशी के हस्ताक्षर है। दिनांक 06.11.2020 को थानेदारजी ने जींद जेल से मुलजिम मोहित उर्फ डागा को बापर्दा बाहर लाकर जरिए फर्द गिरफतार किया जिसकी फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 49 है जिस पर ए से बी स्थान पर उसके सी से डी अमर सिंह कानि0 व ई से एफ मुलजिम के हस्ताक्षर है। उसी रोज थानेदारजी ने हिसार जेल प्रथम से मुलजिम छोटे उर्फ

नवदीप को बापर्दा गिरफतार किया जिसकी फर्द गिरफतारी एवं जामा तलाशी प्रदर्श पी 45 है जिस पर ए से बी स्थान पर उसके, सी से डी अमर सिंह कानि0 व ई से एफ मुलजिम के हस्ताक्षर है। उसी रोज थानेदारजी ने हिसार जेल प्रथम से मुलजिम शेखर उर्फ हैप्पी को बापर्दा गिरफतार किया जिसकी फर्द गिरफतारी एवं जामा तलाशी प्रदर्श पी 46 है जिस पर ए से बी स्थान पर उसके, सी से डी अमर सिंह कानि0 व ई से एफ मुलजिम के हस्ताक्षर है। उसी रोज थानेदारजी ने हिसार जेल प्रथम से मुलजिम हरेंद्र उर्फ हर्ष उर्फ मोटा को बापर्दा गिरफतार किया जिसकी फर्द गिरफतारी एवं जामा तलाशी प्रदर्श पी 47 है जिस पर ए से बी स्थान पर उसके, सी से डी अमर सिंह कानि0 व ई से एफ मुलजिम के हस्ताक्षर है। उसी रोज थानेदारजी ने हिसार जेल द्वितीय से मुलजिम सुधीर को बापर्दा गिरफतार किया जिसकी फर्द गिरफतारी एवं जामा तलाशी प्रदर्श पी 48 है जिस पर ए से बी स्थान पर उसके, सी से डी अमर सिंह कानि0 व ई से एफ मुलजिम के हस्ताक्षर है। दिनांक 07.11.2020 को मुलजिमान हरेंद्र उर्फ हर्ष उर्फ मोटा, शेखर उर्फ हैप्पी, सुधीर, मोहित उर्फ डागा, छोटे उर्फ नवदीप से घटनास्थल तस्दीक कर फर्द तस्दीक घटनास्थल तैयार की जो क्रमशः प्रदर्श पी 55, 56, 57, 58, 59 है जिन पर ए से बी स्थानो पर उसके, सी से डी स्थान पर अमर सिंह कानि0, ई से एफ स्थानो पर मुलजिमानो के हस्ताक्षर है। तस्दीकस्थल का नक्शा मौका तैयार किया जो प्रदर्श पी 60 है जिस पर ए से बी उसके, सी से डी अमर सिह कानि0, ई से एफ, जी से एच, आई से जे, के से एल, एम से एन स्थानो पर मुलजिमानो के हस्ताक्षर तथा ओ से पी स्थानो पर थानेदारजी के हस्ताक्षर है। दिनांक 12.11.2020 को मुलजिम विकास उर्फ काशी की निशानदेही पर प्रवींद्र सिंह की ढाणी भोजासर के बने कमरे मे परिवादी का एक आधार कार्ड जिसका थानेदारजी ने अवलोकन किया तो उस पर महेंद्र सिंह जाट निवासी भाड़ंग लिखा हुआ था जिसको जरिए फर्द जब्त किया, जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 64 है जिस पर ए से बी उसके, सी से डी अमर सिंह कानि., ई से एफ मुलजिम विकास के हस्ताक्षर है। बरामदगी स्थल का नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श पी 65 है जिस पर ए से बी उसके, सी से डी अमर सिंह कानि., ई से एफ मुलजिम विकास के हस्ताक्षर है। दिनांक 20.11.2020 को थानेदारजी ने जब्तसुदा स्वीफट गाडी का एफएसएल यूनिट चूरू को थाना पर बुलाकर गाडी का निरीक्षण करवाया था, एफएसएल यूनिट द्वारा दौराने निरीक्षण स्वीफट गाडी मे गोली लगने से हुए छेद का चौकोर टुकड़ा काटकर थानेदारजी को पेश किया था, को थानेदारजी ने एक सफेद कपडे की थैली मे डालकर सील मोहर कर मार्क बी अंकित किया जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 29 है जिस पर ए से बी बलवान कानि0, सी से डी उसके हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थान पर नमूना सील का अंकन है। उसी रोज एफएसएल यूनिट द्वारा स्वीफट गाडी के अंदर से दौराने निरीक्षण एक बुलेट मिला जो थानेदारजी को दिया जो थानेदारजी ने कब्जा पुलिस मे लेकर उसे एक सफेद कपडे की थैली मे डालकर मार्क सी

अंकित किया जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 30 है जिस पर ए से बी बलवान कानि0, सी से डी उसके हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थान पर नमूना सील का अंकन है।

28— आगे गवाह **पीडब्लू 8 ओमप्रकाश** ने यह साक्ष्य दी है कि उसी रोज एफएसएल यूनिट द्वारा गाडी का एक सीट कवर जो गोली चलने के दौरान सीट से निकली हुई गोली से आर—पार छेद था जो एफएसएल यूनिट द्वारा थानेदारजी को दिया था। थानेदारजी ने निरीक्षण कर उसे एक सफेद कपडे की थैली मे डालकर सील मोहर कर मार्क डी अंकित किया जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 31 है जिस पर ए से बी बलवान कानि0, सी से डी उसके हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थान पर नमूना सील का अंकन है। दिनांक 06.12.2020 को मुलजिम प्रवींद्र उर्फ धौलिया को थानाधिकारी द्वारा थाना परिसर मे गिरफतार किया गया जिसकी फर्द गिरफतारी एवं जामा तलाशी प्रदर्श पी 67 है जिस पर ए से बी उसके, सी से डी अमर सिंह कानि0 व ई से एफ मुलजिम प्रवींद्र के हस्ताक्षर है। दिनांक 07.12.2020 को मुलजिम प्रवींद्र द्वारा की गई रैकी की तस्दीक कर फर्द तस्दीक घटनास्थल रैकी तैयार की गई जो प्रदर्श पी 69 है जिस पर ए से बी उसके, सी से डी अमर सिंह कानि0 व ई से एफ मुलजिम प्रवींद्र के हस्ताक्षर है। रैकी स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया जो प्रदर्श पी 70 है जिस पर ए से बी उसके, सी से डी अमर सिंह कानि0 व ई से एफ मुलजिम प्रवींद्र के हस्ताक्षर है। चिट दस्तख्ती की कार्बन प्रति प्रदर्श पी 97ए, 98ए, 99ए, 100ए है, जिस पर ई से एफ स्थानो पर उसके हस्ताक्षर है।

29— **प्रतिपरीक्षण** में गवाह ने कथन किया कि दिनांक 08.08.2020 को वह थानेदारजी के साथ प्रकरण के संबंध में कही नही गया था। अंकित उर्फ हाउ, राजेश व साहिल उर्फ डॉक्टर को जेल परिसर राजगढ से गिरफतार किया था। उक्त तीनो को गिरफतार करने से पूर्व उसके सामने थानेदारजी ने उनसे कोई पूछताछ की थी या नही, उसे ध्यान नही है। प्रदर्श पी 15, 16 व 17 जेल परिसर के गेट के बाहर तैयार किये थे। अंकित उर्फ हाउ, साहिल उर्फ डॉक्टर व राजेश ने उसके सामने आईओ को दफा 27 की कोई इतला नही दी थी। उक्त तीनो लडको को गिरफतार करने के बाद सिद्धमुख थाना लेकर गए थे, जिनको लॉकअप मे रखा था। प्रदर्श पी 18 से 22 बलवान कानि0 की कलमी है। उक्त फर्दात तैयार की, उस समय आस—पास के खेतो वाले प्राइवेट व्यक्ति भी मौजूद थे। जब उक्त फर्दे तैयार की, उस समय घटना पर घटना संबंधी कोई आलामात थे या नही, उसे याद नही है। प्रदर्श पी 21 व 22 तैयार किया, उस समय अंकित व साहिल साथ थे परंतु इन पर उनके हस्ताक्षर नही करवाए थे। प्रदर्श पी 23 फर्द गिरफतारी विकास उर्फ काशी जेल परिसर चूरू के बाहर तैयार की थी, जो बलवान कानि0 की कलमी है। प्रदर्श पी 24 फर्द तस्दीक घटनास्थल घटनास्थल पर ही तैयार किया था, जो बलवान की कलमी है। प्रदर्श पी 25 नक्शा मौका घटनास्थल तैयार किया, उस समय उक्त जगह उसकी देखी हुई

थी। जहां कार जब्ती करना बता रहा हूं, वह सार्वजनिक जगह थी। दिनांक 01.11.2020 को उक्त जगह पर किसी का कोई कब्जा व स्वामित्व नहीं था। जब उक्त कार को जब्त किया, उस समय गाडी पलटी हुई नही थी बल्कि सीधी खडी थी। उक्त गाडी को जब जब्त किया, उस समय पीछे वाले टायर व रिम नही थी एवं शीशे टूटे हुए थे। उक्त कार उस समय चारो तरफ से क्षतिग्रस्त थी जो मुची हुई थी। उस समय कार में तीन नंबर प्लेट कार की डिक्की मे मिली थी व एक चले हुए कारतूस का खोखा मिला था। प्रदर्श पी 50 से 54 की इतला उसके सामने नहीं दी थी। प्रदर्श पी 55 से 59 फर्द तस्दीक घटनास्थल की फर्दे तैयार की, उस समय सभी मुलजिमान बापर्दा थें। यह कहना सही है कि मुलजिमान का बापर्दा होना उक्त फर्दो मे अंकित नही है। यह सही है कि प्रदर्श पी 55 से 60 मे जिस जगह को तस्दीक करना बताया है, वह जगह पहले से जानता था। प्रदर्श पी 62, 63 दफा 27 की इतला विकास उर्फ काशी ने उसके सामने थानेदारजी को नही दी थीं। उसे ध्यान नही है कि प्रदर्श पी 64 फर्द जब्ती आधार कार्ड तैयार किया, उस समय उस ढाणी मे कोई प्राइवेट व्यक्ति मिला या नही। वह उस आधार कार्ड के नंबर नहीं बता सकता। प्रदर्श पी 29, 30 31 पीएस सिद्धमुख मे तैयार किया था। प्रदर्श पी 29 मे जो कार का चौकोर हिस्सा काटना बता रहा हूं, वह एफएसएल टीम ने काटा था। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 69 व 70 पर किसी भी प्राइवेट व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं है। प्रदर्श पी 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 69, 70 मे तस्दीक व जब्ती की गई जगह के बारे में उसे मुलजिमान ने कोई सूचना नहीं दी थी।

30— **पीडब्लू 9 कृष्ण कुमार गूगड़** का बयान है कि वह दिनांक 20.11.2020 को प्रभारी मोबाईल फॉरेन्सिक यूनिट चूरू के पद पर पदस्थापित था। उस रोज थानाधिकारी पीएस सिद्धमुख के पत्र क्रमांक 2778—79 दिनांक 19.11.2020 की पालना मे दिनांक 20.11.2020 को पीएस सिद्धमुख मे पहुंचकर अनुंसधान अधिकारी की उपस्थिति मे थाना परिसर मे खडी स्वीफ्ट कार मारूति कम्पनी का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार कर श्रीमान एसपी साहब के मार्फत पुलिस थाना सिद्धमुख भिजवाई। श्रीमान एसपी साहब को दिया गया पत्र प्रदर्श पी 101 है जिस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। निरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी 102 है जिस पर ए से बी स्थान उसके हस्ताक्षर है। निरीक्षण के दौरान कार की पीछे सीट मे दो छेद पाये गये। सीट को हटा कर देखने पर कार के धात्विक फर्श मे एक छेद नीचे की तरफ व एक छेद पीछे डिग्गी की तरफ पाया गया। कार के धात्विक फर्श मे नीचे की तरफ पाये गये छेद के चारो तरफ से धात्विक भाग को अनुसंधान अधिकारी द्वारा उसकी उपस्थिति मे कटवाया गया तो कार के फर्श के धात्विक भाग मे एक क्षतिग्रस्त धात्विक बूलेट फसी हुई पाई गई। उक्त बूलेट को बाहर निकालकर अनुसंधान अधिकारी को सील्ड करने के लिऐ मौके पर सुपूर्द की गई तथा छेद युक्त कार की सीट कवर व फर्श के कटवाऐ हुऐ धात्विक

भाग को भी एफएसएल भिजवाने की मौके पर सलाह दी गई। **प्रतिपरीक्षण** में गवाह ने कथन किया कि प्रदर्श पी 102 में बताया गया कार का हिस्सा उसने जब्त नहीं किया, फिर कहा उसने आईओ को मौके पर दे दिया था। वह नहीं बता सकता कि आईओ ने कार के पार्ट को कब व कहां या सील किया या नहीं। प्रदर्श पी 102 में बतायी गयी कार में फिंगर प्रिंट या कार के अंदर शरीर के बालों संबंधित उसके द्वारा निरीक्षण किया गया लेकिन कोई साक्ष्य नहीं मिला। दिनांक 20.11.2020 को उसने सिद्धमुख थाना के मालखाना रजिस्टर में हस्ताक्षर नहीं किये। उसके सामने थानाधिकारी सिद्धमुख ने प्रकरण में कोई कार आदि जब्त नहीं की। उसने कोई बूलेट आदि को जब्त नहीं किया था, फिर कहा अनुसंधान अधिकारी को निकाल कर दे दिया था।

31— **पीडब्लू 10 अशोक कुमार** का बयान है कि वह दिनांक 07.12.2020 को पु0था0 सिद्धमुख में कानि के पद पर कार्यरत था। उस रोज मुकदमा नं. 111 / 2020 में मुकदमा का सील्ड सुदा पैकेट मार्क ए, बी, सी, डी मय चिटठी के कागजात थानाधिकारी के आदेशानुसार मालखाना इंचार्ज से मालखाना रजिस्टर में एम से एन स्थान पर इंद्राज कर प्राप्त कर श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कार्यालय चुरू से अग्रेषण पत्र जारी करवाकर दिनांक 08.12.2020 को एफएसएल बीकानेर में मुकदमा का वजह सबूत मय चिट्ठी कागजात व अग्रेंषण पत्र जमा करवाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर दिनांक 09.12.2020 को एफएसएल प्राप्ति रसीद व अग्रेषण पत्र की प्रति उसने मालखाना रजिस्टर में इंद्राज कर मालखाना इंचार्ज को संभलायी। मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति पत्रावली पर प्रदर्श पी 14ए है जिस पर क्यू से आर स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। अग्रेंषण पत्र की प्रति प्रदर्श पी 80 है जिस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर व सी से डी स्थान पर श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के हस्ताक्षर है। एफएसएल प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 81 है। उसकी रवानगी प्रदर्श पी 82 है। उसके पास मुकदमा का वजह सबूत जब तक रहा तब तक सील्ड सुदा व सुरक्षित हालत में रहा। **प्रतिपरीक्षण** में गवाह ने कथन किया कि यह सही है कि उसके आमद के संबंध में रोजनामचा के दस्तावेज पत्रावली पर नहीं है। उसे चिटठी के साथ नमूनासील दी थी। उसे ध्यान नहीं है कि वजह सबूत क्या क्या थे। इस प्रकरण के अलावा वह अन्य किसी प्रकरण के दस्तावेज साथ लेकर नहीं गया। सिद्धमुख थाना से एसपी कार्यालय के लिए पत्र थानाधिकारी द्वारा अग्रेषण पत्र जारी करवाने हेतु दिया था, जो कितनी प्रति में दिया, उसे ध्यान नहीं है।

32— इस प्रकार अभियोजन पक्ष की उपरोक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का **ध्यानपूर्वक परिशीलन** करने से यह प्रकट हो रहा है कि दिनांक 08.08.2020 को वक्त करीब 12:42 पीएम पर परिवादी महेंद्र सिंह पुत्र लिछमण राम निवासी भाडग तहसील तारानगर जिला चूरू ने पुलिस थाना सिद्धमुख में एक लिखित रिपोर्ट प्रदर्शपी—1 इस आशय की दी कि वह दिनांक 08.08.20 को सुबह 6 बजे सिद्धमुख से भाडग उसके गांव जा रहा था, तब रास्ते

में दयावठ से आगे और ईंट भटटों से पहले उसके सामने एक स्कोर्पियो गाडी आ रही थी और तुरंत उसकी गाडी के आगे उन्होंने गाडी लगा दी तथा पांच हथियार बंद लोग नीचे व एक चालक गाडी के अंदर बैठा था। जो लोग नीचे उतरे और उन्होंने उस पर पिस्तोल तान दी और उसे डराकर गाडी से नीचे उतारा एवं उसकी गाडी सं. आरजे 49 सीए 2591 तथा गाडी के अंदर उसकी सीआरपीएफ आई.डी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, मोबाइल, पर्श व दस हजार रूपये और गाडी के समस्त कागजात मय बीमा के कागजात व गाडी की स्टेपनी सहित सुबह करीब 06.20 एएम पर उससे जबरदस्ती ले गये। इस प्रकार परिवादी के साथ कारित घटना की एफआईआर दर्ज करवाने में किसी प्रकार का विलंब होना प्रकट नहीं आता है।

33— ऐसे ही अभिवचन परिवादी महेंद्र सिंह ने न्यायालय के समक्ष पी0ड0—1 के रूप में परीक्षित होकर स्पष्ट रूप से करते हुए दिनांक 08.08.20 को हुई घटना की पूर्णतया ताईद अपने बयानों में करते हुए घटना की लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 थानाधिकारी को पेश करने, जिस पर चाक एफआईआर प्रदर्श पी 2 दर्ज होने व पुलिस द्वारा घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 बनाये जाने बाबत कथन किये हैं। इसके अतिरिक्त उक्त गवाह ने मुलजिमान की शिनाख्तगी करने बाबत पहचान प्रारूप मोहित उर्फ डागा प्रदर्श पी 4, पहचान प्रारूप सुधीर पुत्र राजवीर प्रदर्श पी 5, पहचान प्रारूप छोटे उर्फ नवदीप प्रदर्श पी 6, पहचान प्रारूप शेखर उर्फ हैप्पी प्रदर्श पी 7, पहचान प्रारूप हरेंद्र उर्फ हर्ष उर्फ मोटा प्रदर्श पी 8, पहचान प्रारूप अंकित उर्फ हाउ प्रदर्श पी 9, पहचान प्रारूप साहिल उर्फ डॉक्टर प्रदर्श पी 10 तथा पहचान प्रारूप विकास उर्फ काशी प्रदर्श पी 11 को भी अपनी साक्ष्य से पूर्णतया साबित करवाया है। साथ ही गवाह ने साक्ष्य में अभियुक्तगण मोहित, विकास, नवदीप व सुधीर जो जरिये वॉटसएप कॉल उपस्थित हुए, उन्हे देखकर कथन किया कि ये वही व्यक्ति है, जिन्होंने उससे गाड़ी छीनी थी एवं परिवादी ने उनकी जेल में शिनाख्त की थी। जिरह में गवाह महेंद्र सिंह ने स्वयं को सीआरपीसी का जवान होते हुए सिद्धमुख में अपनी बहन के पास और वापस आते समय दुर्घटना कारित होना बताया। घटनास्थल से लगभग 200—300 मीटर दूरी पर ईंट भट्टा था। आस पास के खेतों में चार किसान बिरमी के काम कर रहे थे, जो उसे मिले और उनमें से एक का नाम काशीराम था। गाडी उसके सामने से आई थी, जिसके एचआर नंबर थे एवं रंग सफेद था। स्कोर्पियो गाडी में से तीन व्यक्ति कंडक्टर साइड से उतरे व दो व्यक्ति चालक साइड से उतरे थे। गाडी से उतरे पांचों व्यक्तियों के पास हथियार थे। गवाह ने यह भी बताया कि मौके पर अन्य कोई व्यक्ति नहीं था। इस प्रकार उक्त गवाह के कथनों से मौके पर कारित घटना के समय स्वतंत्र साक्षी की अपेक्षा नहीं की जा सकती परंतु गवाह ने दिनांक 08.08.20 को हुई घटना की पूर्णतया ताईद अपनी साक्ष्य में की है। गवाह ने अभियुक्तगण की पहचान जरिये वीसी की और शिनाख्त परेड के दौरान भी स्पष्ट रूप से की

है। इस गवाह की जिरह में भी ऐसा कोई कथन नहीं आया है, जिससे उसकी मुख्य परीक्षा का किसी प्रकार से खंडन होता हो।

34— अन्य अभियोजन साक्षी पी0ड0—5 भरत सिंह ने अपनी साक्ष्य में यह कथन किया कि वह दिनांक 08.08.2020 को पीएस सिद्धमुख में एएसआई के पद पर तैनात था। उस रोज थानाधिकारी कृष्ण कुमार घटनास्थल की ओर रवाना हुए, तब थाना का चार्ज उसके पास था। उस रोज परिवादी महेन्द्र सिंह निवासी भादरा ने एक लिखित रिर्पोट दी, जो प्रदर्श पी 1 है, जिस पर कार्यवाही पुलिस का अंकन किया एवं उक्त लिखित रिर्पोट के आधार पर चाक एफआईआर प्रदर्श पी 2 दर्ज की। जिरह में गवाह ने कथन किया कि प्रदर्श पी 1 लिखित प्रार्थना लेने के समय उसने थानाधिकारी से संपर्क किया था। परिवादी के शरीर पर कोई जाहिर चोट नहीं थी व ना ही कपडे आदि फटे हुए थे। इस गवाह की साक्ष्य से परिवादी द्वारा घटना की रिपोर्ट थाना में प्रस्तुत करने व उसके आधार पर चाक एफआईआर दर्ज होने की पुष्टि होती है।

35— अन्य अभियोजन साक्षी पी0ड0—6 बलवान ने गाडी व बरामदगी के संबंध में यह साक्ष्य दी है कि दिनांक 01.11.2020 को मुलजिम विकास उर्फ काशी की इतला से झाडली सुंदरहटी से स्वीफट गाडी नंबर प्लेट पर एचआर 13 एन2 लिखे हुए थे तथा गाडी की डिक्की में तीन नंबर प्लेट पडी हुई थी, जिसमें से एक नंबर प्लेट आरजे 49 सीए 2591 जो परिवादी की थी, उसे जरिए फर्द प्रदर्श पी 26 किया। उक्त स्वीफट कार के अंदर एक खाली खोखा मिला, जिसे जरिए फर्द अलग से जब्त किया जाकर एक सफेद कपडे की थैली मे डालकर थैली पर मार्क ए अंकित किया एवं उसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 27 व बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 28 है। दिनांक 20.11.2020 को थानेदार ने जब्तशुदा स्वीफट गाडी का एफएसएल यूनिट चूरू को थाना बुलाकर निरीक्षण करवाया। दौराने निरीक्षण स्वीफट गाडी में गोली लगने से हुए छेद का चौकोर टुकड़ा काटकर थानेदार को पेश किया, जिसे एक सफेद कपडे की थैली मे डालकर सील मोहर कर मार्क बी अंकित किया एवं उसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 29 है। उसी रोज एफएसएल यूनिट द्वारा स्वीफट गाडी के अंदर से दौराने निरीक्षण एक बुलेट मिला, जिसे कब्जा पुलिस मे लेकर एक सफेद कपडे की थैली में डालकर मार्क सी अंकित किया एवं जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 30 है। उसी रोज एफएसएल यूनिट द्वारा गाडी का एक सीट कवर जो गोली चलने के दौरान सीट से निकली हुई गोली से आर—पार छेद था, जो एफएसएल यूनिट द्वारा थानेदार को दिया, जिसका निरीक्षण कर एक सफेद कपडे की थैली में डालकर सील मोहर कर मार्क डी अंकित किया एवं जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 31 है।

36— जिरह में हालांकि गवाह ने कथन किया कि प्रदर्श पी 20 तैयार करने के समय घटना संबंधी कोई अलामात नहीं थे परंतु इस संबंध में न्यायालय का विनम्र मत है कि

चूंकि घटना के एक महिने से अधिक समय के बाद मुलजिमान की गिरफतारी की गयी और उसके पश्चात ही अन्य जब्तीयां, नक्शामौका व योजनास्थल तस्दीक किया गया है, जिस कारण घटना के अलामात मिलना संभव नहीं है। गवाह ने यह भी कथन किया कि प्रदर्श पी 26 जहां से जब्त करनी बता रहा है, वह सडक किनारे की जगह थी एवं उस जगह पर किसी का स्वामित्व व कब्जा नहीं था। प्रदर्श पी 26 जो जगह दिखाई है, वहां कोई भी आ जा सकता है। जब्त की गयी गाडी दुर्घटनाग्रस्त अवस्था में थी। जिस गाडी को जब्त किया था, उसमें गाडी के स्वामित्व बाबत कोई दस्तावेज नहीं पाये गये। चूंकि गाडी मुलजिमान की निशानदेही से खाली सडक पर खेत में पडी थी, जिसे अनुसंधान अधिकारी द्वारा जब्त किया गया था। मुताबिक फर्द जब्ती प्रदर्श पी 26 मुलजिम विकास उर्फ काशी द्वारा अनुसंधान अधिकारी के आगे चलकर सीमेंटेड सडक के साईड में खेत में पडी एक क्षतिग्रस्त कार के पास ले जाकर बताया कि दिनांक 08.08.20 को सिद्धमुख ईलाका से लूट की गयी कार यही है, जो पलटा खाकर क्षतिग्रस्त हो गयी। जिस पर गाडी का मुलाहिजा किया तो गाडी स्वीफट रंग सफेद है, जो क्षतिग्रस्त है एवं पीछे प्लेट पर नंबर एचआर 13 एन2 लिखा है। पीछे के दोनों टायर रीम सहित गायब है व एसी रेडियेटर गायब है। गाडी के पीछे की सीट के नीचे एक खाली खोखा मिला, जिसे कब्जा में लिया गया। इस प्रकार मुलजिम विकास उर्फ काशी की इतिला पर परिवादी महेंद्र सिंह से लूट की गयी गाडी को पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। गाडी में एक चला हुआ बुलेट का टुकडा भी मिला। चैसिस व इंजन का मिलान करने पर पाया गया कि यह वही गाडी है, जो परिवादी से लूट की गयी थी।

37— अन्य अभियोजन साक्षी पी0ड0—8 ओमप्रकाश ने भी अभियुक्तगण की गिरफतारी, योजनास्थल तस्दीक, नक्शामौका, बरामद स्वीफट गाडी का निरीक्षण करवाने, गाडी के अंदर से एक बुलेट व चौकोर टुकडा बरामद होने तथा चिट दस्तख्तीयों संबंधी स्पष्ट प्रकृति की साक्ष्य दी है और इन संबंधी प्रदर्शों को अपनी साक्ष्य से साबित करवाया है। जिरह में इस गवाह की साक्ष्य में ऐसा कोई तात्विक विरोधाभास नहीं आया है, जिससे उसकी साक्ष्य पर अविश्वास किया जा सके।

38— अन्य अभियोजन साक्षी पी0ड0—4 शंकरलाल मालखाना इंचार्ज है, जिसने प्रकरण का वजह सबूत कार व खोखे आदि को मालखाना में जमा करवाने बाबत यह साक्ष्य दी है कि दिनांक 01.11.2020 को मु0नं0 111/2020 में थानाधिकारी कृष्ण कुमार ने वजह सबूत एक दुर्घटनाग्रस्त कार व एक सफेद कपड़े की थैली में एक सील्डशुदा खाली खोखा मार्क ए लाकर उसे सम्भलाया, जिसका उसने मालखाना रजिस्टर के क्रमांक 418 पर क्र.सं. 1 व 2 पर इंद्राज कर जमा मालखाना किया। दिनांक 20.11.2020 को थानेदार ने एक सील्ड पैकेट मार्क बी, सी व डी लाकर उसे सम्भलाए, जो उसने मालखाना रजिस्टर के क्रम संख्या 3, 4 व 5 पर इंद्राज कर जमा मालखाना किये तथा दिनांक 06.12.2020 को एक इस्तेमाली

रीयल–मी एंडोइड फोन व एक फर्स जिसमें पांच सौ रूपये नकद तथा एक चांदी जैसी धातू की बिंटी, एक चैन लाकर सम्भलाई, जिनका उसने मालखाना रजिस्टर के क्रंस. 6 पर इंद्राज कर जमा मालखाना की। मूल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 14 है। दिनांक 02.12.2020 को सुनील कुमार कानि. को सील्ड पैकेट मार्क ए से डी एफएसएल बीकानेर भिजवाने व पुलिस अधीक्षक चूरू से अग्रेषण पत्र जारी करवाने के लिए सील्ड पैकेट व चिट्टी के कागजात देकर रवाना किया। उक्त सुनील कुमार दिनांक 04.12.2020 को एफएसएल बीकानेर द्वारा ऐतराज करने पर सील्डशुदा हालात में पैकेट मार्क ए, बी, सी, डी को वापस लाकर जमा मालखाना करवाया। दिनांक 07.12.2020 को एतराज पूर्ति कर अशोक कुमार कानि. को पुनः अग्रेषण पत्र जारी करवाने व एफएसएल में जमा करवाने हेतु सील्ड पैकेट मार्क ए, बी, सी, डी मय चिट्टी के कागजात सही व दुरस्त हालात में सम्भलाए। जिसने दिनांक 09.12.2020 को अग्रेषण पत्र क्रमांक संख्या 5340–41 दिनांक 07.12.2020 की प्रति व एफएसएल प्राप्ति रसीद संख्या 1372बीएएल/20 दिनांक 08.12.2020 की लाकर उसे सम्भलाई। अग्रेषण पत्र की प्रति व एफएसएल प्राप्ति रसीद अनुसंधान अधिकारी को सम्भला दी। जिरह में गवाह ने कथन किया कि दिनांक 01.11.2020 को प्रदर्श पी 14 में क्रमांक संख्या 1 व 2 का इंद्राज किया था परंतु उनके जमा करने का समय अंकित नही है, न ही जमा करवाने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी 14 में क्रमांक संख्या 1 व 2 का इंद्राज मुकदमा नम्बर 111 में करवाया था। एफएसएल वजह सबूत करीब एक माह बाद भिजवाने का वह कारण नहीं बता सकता परंतु बाद में चार प्रविष्ठि दिनांक 20.11.2020 की होना बताया। उक्त गवाह की साक्ष्य से यह प्रकट हो रहा है कि अभियुक्तगण से बरामद कार व अन्य वजह सबूत को अनुसंधान अधिकारी द्वारा मालखाना में जमा करवाया गया है और बाद में अग्रेषण पत्र जारी करवा कर एफएसएल भिजवाया गया है। पूर्व में एफएसएल में ऐतराज हुआ था लेकिन बाद में एतराजों की पूर्ति कृष्ण कुमार ने की थी।

39– इसी अनुसरण में गवाह पी0ड0–10 अशोक कुमार केरियर ने यह साक्ष्य दी है कि दिनांक 07.12.2020 को मुकदमा नं. 111/2020 के सील्डशुदा पैकेट मार्क ए, बी, सी, डी मय चिटठी कागजात थानाधिकारी के आदेशानुसार मालखाना इंचार्ज से मालखाना रजिस्टर में एम से एन स्थान पर इंद्राज के पश्चात प्राप्त कर श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कार्यालय चूरू से अग्रेषण पत्र जारी करवा कर दिनांक 08.12.2020 को एफएसएल बीकानेर में मुकदमा का वजह सबूत मय चिट्ठी कागजात व अग्रेंषण पत्र जमा करवाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर दिनांक 09.12.2020 को एफएसएल प्राप्ति रसीद व अग्रेषण पत्र की प्रति उसने मालखाना इंचार्ज को संभलायी। मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 14ए व अग्रेषण पत्र की प्रति प्रदर्श पी 80, एफएसएल प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 81 व उसकी रवानगी प्रदर्श पी 82 है। उसके पास मुकदमा का वजह सबूत जब तक रहा, सील्डशुदा व सुरक्षित हालत में रहा।

जिरह में गवाह ने कथन किया कि उसे चिटठी के साथ नमूनासील दी थी। उसे ध्यान नहीं है कि वजह सबूत क्या क्या थे। उक्त प्रकरण के अलावा वह अन्य किसी प्रकरण के दस्तावेज साथ लेकर नहीं गया।

40— अन्य अभियोजन साक्षी पी0ड0—9 कृष्ण कुमार गूगड ने बरामदशुदा स्वीफ्ट गाडी का निरीक्षण करने के संबंध में यह साक्ष्य दी है कि दिनांक 20.11.2020 को थानाधिकारी पीएस सिद्धमुख के पत्र क्रमांक 2778—79 दिनांक 19.11.2020 की पालना मे पीएस सिद्धमुख पहुंच कर अनुंसधान अधिकारी की उपस्थिति में थाना परिसर मे खडी स्वीफ्ट कार मारूति कम्पनी का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार कर श्रीमान एसपी चूरू के मार्फत पुलिस थाना सिद्धमुख भिजवाई। श्रीमान एसपी चूरू को दिया गया पत्र प्रदर्श पी 101 व निरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी 102 है। निरीक्षण के दौरान कार की पीछे सीट में दो छेद पाये गये। सीट को हटा कर देखने पर कार के धात्विक फर्श में एक छेद नीचे व एक छेद पीछे डिग्गी की तरफ पाया गया। कार के धात्विक फर्श मे नीचे की तरफ पाये गये छेद के चारो तरफ से धात्विक भाग को अनुसंधान अधिकारी द्वारा उसकी उपस्थिति में कटवाया गया तो कार के फर्श के धात्विक भाग में एक क्षतिग्रस्त धात्विक बूलेट फंसी हुई मिली। उक्त बुलेट को बाहर निकाल कर अनुसंधान अधिकारी को सील्ड करने के लिए मौके पर सुपुर्द की तथा छेद युक्त कार की सीट कवर व फर्श के कटवाए हुए धात्विक भाग को भी एफएसएल भिजवाने की सलाह दी गई। जिरह में गवाह ने कथन किया कि प्रदर्श पी 102 में बताया गया कार का हिस्सा उसने जब्त नहीं किया बल्कि उसने अनुसंधान अधिकारी को दिया था। प्रदर्श पी 102 में बतायी गयी कार में फिंगर प्रिंट या कार के अंदर शरीर के बालों संबंधी उसके द्वारा निरीक्षण किया गया। उसने कोई बुलेट आदि जब्त नहीं किया बल्कि अनुसंधान अधिकारी को निकाल कर दे दिया था।

41— अन्य अभियोजन साक्षी पी0ड0—7 कृष्ण कुमार प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में प्रकरण के अनुसंधान कार्यवाही की पूर्णतया ताईद करते हुए अभियुक्तगण की गिरफतारी, उनकी इतिला पर संबंधित स्थान की तस्दीक कार्यवाही, स्वीफट कार व उसमें मिले खोखे की फर्द जब्ती, अभियुक्तगण की परिवादी महेंद्र सिंह से शिनाख्तगी करवाने, गवाहान के बयान लेखबद्ध करने, अभियुक्तगण से बरामद आर्टिक्ल प्रदर्शित करवाने एवं बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रकरण वर्णित धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में पेश करने की स्पष्ट प्रकृति की साक्ष्य दी है। जिरह में गवाह ने यही कथन किया कि प्रदर्श पी 1 उसके समक्ष पेश नहीं की गई थी। जब वह मौके पर गया तो वहां गाड़ी के टायरों के निशान व आदमियों के पैरो के निशान थे। यह सही है कि उसने आदमियों के पैरो के निशान व गाड़ी के टायरो के निशान बाबत् मोल्ड तैयार नहीं किये क्योंकि मोल्ड लेने लायक निशान नहीं थे। वह परिवादी महेन्द्र सिंह से उसी रोज मिला और

उससे अनुसंधान किया। परिवादी सिद्धमुख अपनी बहन के घर आया हुआ था और उस समय गाडी में अकेला था। पहली गिरफतारी से पहले उसने ईंट भट्टो के सीसीटीवी कैमरो के फुटेज, हरियाणा टोल नाकों के कैमरो की फुटेज, घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो जो बरवाला कस्बा से लूट की, वहां से भी उसने अनुसंधान किया था। पहली गिरफतारी से पूर्व घटना के आस–पास व मुस्तगीस द्वारा कुछ व्यक्तियों के नाम जैसे छोटे, हाउ, हैप्पी आदि नाम पुकारना बताया। परिवादी ने प्रकरण में लूट करने वालों की संख्या 7–8 बतायी थी। प्रकरण में जप्त गाड़ी सड़क के नजदीक खेत में पलटा खाई हुई पड़ी थी। जिस जगह कार मिली थी, वह जगह सार्वजनिक थी। गाड़ी में घटना संबंधी या किसी व्यक्ति के खून आदि के अलामात नहीं मिले परंतु एक खोखा मिला था। मोहित उर्फ डागा, शेखर उर्फ हैप्पी, हरेन्द्र उर्फ मोटा, सुधीर तथा नवदीप उस वक्त बरवाला स्कॉर्पियो लूट प्रकरण में जेल में बंद थे। प्रदर्श पी 69 में जिस जगह का उल्लेख है, वह रैकी करने वाली जगह है। परिवादी से शिनाख्तगी की कार्यवाही करवायी थी। यह कहना सही है कि प्रकरण में दौराने अनुसंधान किसी भी व्यक्ति से कोई हथियार की बरामदगी नहीं हुई थी परंतु उक्त प्रकरण में जो हथियार काम में लिये गये, वे पुलिस थाना राजगढ़ के प्रकरण सं. 279/2020 और हरियाणा में गिरफतार हुए मुलजिमो से वहां बरामद हो चुके थे। उक्त गवाह की साक्ष्य से भी परिवादी के कथनों, उसके आधार पर दर्ज एफआईआर, अभियुक्तगण की गिरफतारी व बरामदगी, प्रस्तुत आरोप पत्र आदि तथ्यों की पुष्टि होती है।

42– प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी पी0ड0–7 कृष्ण कुमार ने साक्ष्य के दौरान यह बताया कि अभियुक्त विकास उर्फ काशी ने स्वेच्छा से उसे फरारी के दौरान चुडी बागडीयान में जगमोहन के घर रूकना बताया। इस संबंध में गवाह द्वारा अभियुक्त विकास उर्फ काशी द्वारा दी गयी फर्द इतिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम को प्रदर्श पी 63 के रूप में पत्रावली पर प्रदर्शित करवाया है, जिसमें अभियुक्त ने यह वर्णित करवाया है कि प्रकरण में जब्त स्वीफ्ट कार लूट के पश्चात वह फरारी के दौरान चुली बागडियान में मोहन के घर पर रूका था, जो उसकी फरारी में पूर्ण सहयोग करता था। उक्त सूचना विश्वसनीय पायी गयी, जिससे सहअभियुक्त जगमोहन का उक्त प्रकरण घटित होने के दिनांक के अपराध की जानकारी होने के बावजूद भी यह जानते हुए कि अभियुक्त विकास उर्फ काशी अपराधी है, को अपने घर में रखकर उसे संश्रय दिये जाने का तथ्य साबित पाया जाता है। इस प्रकार अभियुक्तगण की इतिला के आधार पर अनुसंधान अधिकारी ने प्रकरण में लूट की गयी गाडी को जब्त किया एवं परिवादी के दस्तावेज जब्त किये तथा अभियुक्तगण से हथियारों की बरामदगी की जाकर मिथ्या नंबरों प्लेटों को बरामद करने और अभियुक्तगण द्वारा आपराधिक षडयंत्र रचकर डकैती करने हेतु योजना बनाने के लिए एकत्रित होना और उसी अनुसरण में परिवादी महेंद्र सिंह की गाडी को रूकवा कर पिस्तोल की नोक पर गाडी लूटने व प्रकरण में

जब्त स्कोर्पियो गाडी पर मिथ्या नंबर की प्लेट लगाकर उसका प्रयोग करने का तथ्य भी साबित पाया जाता है।

43— इसके अतिरिक्त अन्य गवाहान पी0ड0—2 अमरचंद व पी0ड0—3 सोमवीर पक्षद्रोही घोषित हुए है और अभियोजन कहानी की कोई ताईद नहीं की है परंतु उक्त गवाह परिवादी महेंद्र सिंह के बतायेनुसार कोई मौके के गवाह नहीं है। जिस कारण उनके पक्षद्रोही होने से भी अभियोजन कहानी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडता है, जबकि प्रकरण के मुख्य परिवादी पी0ड0—1 महेंद्र सिंह द्वारा घटना की पूर्णतया ताईद की गयी है और अभियुक्तगण की शिनाख्त भी प्रमुख रूप से की गयी है। किसी प्रकरण में किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्ष्य की गुणवता आवश्यक होती है, उनकी संख्या या मात्रा कोई महत्व नहीं रखती है। इसी प्रकार का अभिमत **माननीय उच्चतम न्यायालय** द्वारा न्यायिक दृष्टांत **2010 (4) CJ(Cr.) (SC) 1094 बीपिन कुमार मंडल बनाम पश्चित बंगाल राज्य** तथा **2010 (1) ACJ (SC) 10 मोतीलाल आदि बनाम उत्तरप्रदेश राज्य** में प्रतिपादित किया गया है। चूंकि वारदात के समय परिवादी महेंद्र सिंह अपनी गाडी से अकेला ही सडक मार्ग से जा रहा था, उसी दौरान अभियुक्तगण ने उसकी गाडी को रोककर पिस्तोल की नोक पर गाडी की डकैती/लूट कर ले गये। घटना के समय उसके साथ कोई नहीं था और ना ही आस पास कोई व्यक्ति मौजूद था। अतः किसी अन्य साक्षी का उपलब्ध होना संभव नहीं था। प्रकरण में परिवादी महेंद्र सिंह या पुलिस की अभियुक्तगण के साथ कोई पूर्व रंजिश हो, ऐसा भी कोई तथ्य पत्रावली पर नहीं आया है व ना ही ऐसा कोई कथन अभियुक्तगण ने उनके परीक्षण अंतर्गत धारा 313 सीआरपीसी में किये हैं और ना ही इस संबंध में उनके द्वारा कोई साक्ष्य पेश की गयी है। ऐसे में उक्त न्यायिक दृष्टांतों की रोशनी में परिवादी महेंद्र सिंह की साक्ष्य की अविश्वसनीय नहीं मानी जा सकती। वहीं अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों से उन्हें कोई सहायता प्रदान नहीं होती है, जिनके प्रति यह न्यायालय पूर्ण आदर व्यक्त करता है।

44— पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट हो रहा है कि अभियुक्तगण पर परिवादी की गाडी रूकवा कर उसे पिस्तोल दिखाकर अपने सामान्य उददेश्य के अग्रसरण में स्वीफ्ट गाडी आरजे 19 सीए 2591 व कागजात व नगद रूपये लूटकर ले जाने का आरोप मानते हुए जगमोहन के अतिरिक्त अन्य अभियुक्तगण पर धारा 395 व 397 भा0दं0स0 के पृथक पृथक आरोप विरचित किये गये हैं परंतु चूंकि अभियुक्त जगमोहन के अतिरिक्त अन्य अभियुक्तगण द्वारा परिवादी को जान से मारने का भय दिखाकर/पिस्तोल तानकर गाडी व दस्तावेजात लूटने की साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद है। धारा 395 भा0दं0स0 अपने आप में धारा 397 भा0दं0स0 समाहित है, अतः अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर जगमोहन के अलावा अन्य अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 397 भा0दं0स0 का अपराध संदेह से

परे प्रमाणित होने से उन्हें धारा 395 भा0द0स0 में पृथक से दोषसिद्ध किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इसी प्रकार जगमोहन के अतिरिक्त अन्य अभियुक्तगण पर डकैती के संबंध में आपराधिक षडयंत्र का भी आरोप है, लेकिन पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट हो रहा है कि अभियुक्तगण को डकैती व आपराधिक षडयंत्र में घटनास्थल पर सम्मिलित पाया गया है और वे समस्त घटनास्थल पर प्रत्यक्ष रूप से घटना में शामिल भी थे। अतः उन्हें आपराधिक षडयंत्र के अपराध में पृथक से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

45— इसलिए अभियोजन पक्ष उपरोक्त समग्र विवेचन से अभियुक्तगण मोहित उर्फ डागा, विकास उर्फ काशी, साहिल उर्फ डॉक्टर, राजेश के विरूद्ध प्रकरण वर्णित आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतया **सफल** रहा है और यह भी साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 08.08.2020 को सुबह 6 बजे दयावठ से बिरमी रोड पर ईंट भटटों के पास दीगर मुलजिमान के साथ मिलकर डकैती करने का आपराधिक षडयंत्र रचकर डकैती के लिए बनाये गये अवैध समूह के सामान्य उददेश्य के अग्रसरण में परिवादी महेंद्र सिंह की गाडी रूकवा कर उस पर पिस्तोल तानकर उसकी मृत्यु या उपहति कारित करने का प्रयत्न कर उसकी स्विफट गाडी सं. आरजे 19 सीए 2591, गाडी के कागजात, चालक लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, मोबाइल, एटीएम कार्ड, सीआरपीएफ कार्ड तथा दस हजार रूपये नकद लूटकर डकैती कारित की एवं डकैती करने के पश्चात लूटी गयी स्विफट गाडी स्कोर्पियो पर फर्जी नंबरों की नंबर प्लेट लगाकर उसे मिथ्या संपति चिन्ह के रूप में प्रयोग किया तथा अभियुक्त जगमोहन ने उक्त दिनांक के अपराध की जानकारी होने के बावजूद भी यह जानते हुए कि अभियुक्त विकास उर्फ काशी अपराधी है, को वैध दण्ड से प्रतिछादित करने के आशय से अपने घर में रखकर उसे संश्रय दिया।

46— ऐसे में अभियुक्तगण मोहित उर्फ डागा, विकास उर्फ काशी, साहिल उर्फ डॉक्टर, राजेश को धारा 397, 482 सपठित धारा 120बी भा0दं0सं0 तथा अभियुक्त जगमोहन को धारा 212 भा0दं0सं0 के आरोप में दोषसिद्ध किया जाना सर्वथा न्यायोचित है।

<u>आदेश</u>

47— अतः अभियुक्तगण **मोहित उर्फ डागा** पुत्र नरेश उम्र 21 साल निवासी वार्ड नं0 11 जुलाना पीएस जुलाना जिला जिंद हरियाणा, **विकास उर्फ काशी** पुत्र नरसिंह उम्र 26 साल निवासी पिंजोखरा पीएस तोषाम जिला भिवानी हरियाणा, **साहिल उर्फ डॉक्टर** पुत्र कर्मवीर निवासी निंदाना पीएस महस जिला रोहतक हरियाणा, **राजेश** पुत्र रतनलाल उम्र 20 साल निवासी भगेला पीएस सिद्धमुख जिला चूरू को धारा 397, 482 सपठित धारा 120बी भा0दं0सं0 एवं अभियुक्त **जगमोहन** पुत्र ओमप्रकाश उम्र 38 साल निवासी चूली

बागडिया पीएस मण्डी आदमपुर जिला हिसार हरियाणा को धारा 212 भा0दं0सं0 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(मुनेश चंद यादव)
अपर सेशन न्यायाधीश क्रम–1
राजगढ (चूरू)

<u>सजा के प्रश्न पर</u>

48– सजा के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्तगण गत छः वर्ष से अधिक समय से अन्वीक्षा भुगत रहे हैं तथा उनके जेसी रहने से उनके परिवार पर विपरीत असर पडेगा। इसलिए उनके प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए उसे परीवीक्षा का लाभ दिया जावे। जिसका विद्वान अपर लोक अभियोजक ने विरोध करते हुए यह तर्क दिया कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादी महेंद्र सिंह की गाडी रूकवा कर उस पर पिस्तोल तानकर गाडी, अन्य दस्तावेज व रूपये आदि लूटकर डकैती कारित की है। इसलिए अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का होने से उन्हें कठोर दण्ड से दंडित किया जावे।

49– उभय पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत तथ्यों व तर्को पर मनन किया तथा पत्रावली तथा संबंधित विधि का अध्ययन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से न्यायालय के विनम्र मत में अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक 08.08.2020 को आपराधिक षडयंत्र रचकर दयावठ से बिरमी रोड पर परिवादी महेंद्र सिंह की गाडी रूकवा कर एवं उस पर पिस्तोल तानकर उसकी स्वीफट गाडी मय कागजात, अन्य दस्तावेज व नगदी रूपये आदि लूटने व उक्त लूटी हुई स्वीफट गाडी पर फर्जी नंबरों की नंबर प्लेट लगाकर मिथ्या संपति चिन्ह के रूप में प्रयोग करने का गंभीर आरोप है। वर्तमान परिदृश्य में डकैती/लूट की घटनाओं में उत्तरोतर वृद्धि हो रही है, जिससे समाज में भय का माहौल बढ रहा है एवं इसका विपरीत प्रभाव भी पड रहा है। ऐसी स्थिति में अपराध की गंभीरता तथा अभियुक्तगण द्वारा आपराधिक षडयंत्र को लेकर योजनापूर्वक घटना को अंजाम देने की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को परीविक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित न पाकर कारावास व जुर्माना से दंडित किया जाना न्यायोचित है।

<u>– दण्डादेश –</u>

50– अतः अभियुक्तगण **मोहित उर्फ डागा** पुत्र नरेश उम्र 21 साल निवासी वार्ड नं0 11 जुलाना पीएस जुलाना जिला जिंद हरियाणा, **विकास उर्फ काशी** पुत्र नरसिंह उम्र 26 साल निवासी पिंजोखरा पीएस तोषाम जिला भिवानी हरियाणा, **साहिल उर्फ डॉक्टर** पुत्र

कर्मवीर निवासी निंदाना पीएस महस जिला रोहतक हरियाणा, **राजेश** पुत्र रतनलाल उम्र 20 साल निवासी भगेला पीएस सिद्धमुख जिला चूरू को धारा 397, 482 सपठित धारा 120बी भा0दं0सं0 के आरोप में दोषसिद्ध किए जाने पर प्रत्येक अभियुक्त को निम्न प्रकार से दंडादिष्ट किया जाता है–

क0सं0	दोषसिद्ध आरोप	कारावास का दण्ड	अर्थदण्ड	अदम अदायगी अर्थदण्ड अतिरिक्त कारावास
1	धारा **397/120बी** भा0दं0सं0	**सात वर्ष** का कठोर कारवास	**10,000** रू0	**एक वर्ष** का साधारण कारवास
2	धारा **482/120बी** भा0दं0सं0	**एक वर्ष** का साधारण कारवास	**2,000** रू0	**तीन माह** का साधारण कारवास

51– वहीं अभियुक्त **जगमोहन** पुत्र ओमप्रकाश उम्र 38 साल निवासी चूली बागडिया पीएस मण्डी आदमपुर जिला हिसार हरियाणा को आरोप धारा 212 भा0दं0सं0 के आरोप में दोषसिद्ध किए जाने पर निम्न प्रकार से दंडादिष्ट किया जाता है–

क0सं0	दोषसिद्ध आरोप	कारावास का दण्ड	अर्थदण्ड	अदम अदायगी अर्थदण्ड अतिरिक्त कारावास
1	धारा **212** भा0दं0सं0	**तीन वर्ष** का साधारण कारवास	**5,000** रू0	**एक वर्ष** का साधारण कारवास

52– अभियुक्तगण की सभी मूल सजाएं साथ–साथ चलेंगी। अभियुक्तगण द्वारा पुलिस व न्यायिक अभिरक्षा में गुजारी गई अवधि उनकी मूल सजा से मुजरा की जावेगी। अभियुक्तगण का सजा वारंट बनाया जावे। निर्णय की प्रति अभियुक्त को तुरंत निःशुल्क प्रदान की जावे। साथ ही प्रत्येक अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि अपील होने की स्थिति में धारा 437(क) दं0प्र0सं0 के तहत बीस–बीस हजार रूपये के जमानत मुचलके प्रस्तुत करे।

53– चूंकि हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण **अंकित उर्फ हाउ, सुधीर, शेखर उर्फ हैप्पी, छोटे उर्फ नवदीप, हरेंद्र उर्फ हर्ष उर्फ मोटा व परवेंद्र उर्फ धोलिया मफरूर हैं**, इसलिए पत्रावली का कोई भी भाग या हिस्सा नष्ट नहीं किया जावे। इस बाबत पत्रावली के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से नोट अंकित किया जावे एवं प्रकरण का जब्तशुदा माल वजह सबूत भी सुरक्षित रखा जावे।

(मुनेश चंद यादव)

अपर सेशन न्यायाधीश क्रम–1

राजगढ (चूरू)

54— निर्णय आज दिनांक 30.06.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनेश चंद यादव)
अपर सेशन न्यायाधीश क्रम—1
राजगढ (चूरू)